स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

दिनांक : 11-01-2018

क्रमांक : राज.वि.से.प्र/ 26

सेवा में,

माननीय विधि राज्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय – प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पद सृजन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य के बढ़ते हुए विधिक कार्यकलापों के साथ–साथ जन–जागरूकता के कारण राज्य के विधिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इससे प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला स्तर के प्रत्येक कार्यालयों में कार्य भार भी बढ़ गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों के पद उसी अनुसार सृजित नहीं है। इसके अभाव में विधिक प्रकरणों का न तो उचित परीक्षण ही हो पाता है और न ही विभाग को वादकरण इत्यादि से निपटने एवं उसे नियंत्रित करने हेतु मार्गदर्शन ही प्राप्त हो पाता है। समुचित विधिक मार्गदर्शन बिना लिये गये प्रशासनिक निर्णय के कारण राजकीय वादकरण में दिनों–दिन वृद्धि हो रही है, जो राज्यहित में उचित नहीं है। यदि उक्त स्तरों पर दिन–प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विधिक समाधान समुचित स्तर के विधि अधिकारियों के पदों के सृजन से हो जाता है तो इससे आम जनता को प्रारम्भिक स्तर पर राहत मिलने के साथ ही राज्य सरकार पर वादकरण से पड़ने वाले अनावश्यक वित्तीय भार में भी कमी आयेगी।

विधि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये विधि अधिकारियों के कार्य/दायित्व निम्नानुसार हैं :–

11/01/2018

1. विधायी प्रारूपण संम्बधी कार्य यथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उपनियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन के प्रारूप बनाना ।
2. विधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श संबंधित कार्य ।
3. नोटिस, याचिका, दावे एवं जबाब दावें इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श।
4. अपीलीय मामलों एवं निर्णयों का परीक्षण एवं परामर्श।
5. विभागीय अन्य विशिष्ट विधिक कार्य।

यद्यपि विधि विभाग द्वारा विधि अधिकारियों के लिए उपरोक्त वर्णित दायित्व/कार्य निर्धारित किए हैं परन्तु वास्तविकता में महत्वपूर्ण प्रकृति के निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं –

1. विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरूद्ध या राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत वाद/अपील/रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करना, जवाब प्रस्तुत करवाना, न्यायालय में प्रकरण की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करवाना एवं निर्णय होने पर उसके विरूद्ध अपील/नो अपील की राय देना।
2. विभिन्न अन्य प्रधिकारीगण जैसे मानवाधिकार आयोग, सूचना आयुक्त, राष्टीय ग्रीन टिब्यूनल एवं लोकायुक्त महोदय के समक्ष लम्बित प्रकरणों में राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत जवाबों का विधिक्षण व प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।
3. समय–समय पर लगने वाली लोक अदालतों के समक्ष नियमानुसार समझौता करने योग्य प्रकरणों की छटनी करना और उनको लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाकर अनावश्यक बादकरण को कम करने का प्रयास करना।
4. प्रत्येक विभाग के कुछ विशेष अधिनियम, नियम, विनियम, बने हुये हुये हैं। विभाग में पदस्थापित विधि अधिकारी द्वारा उस विभाग से सम्बन्धित विधियों का विशेष अध्ययन कर विभाग के विधिक प्रकरणों का परीक्षण कर उनका निस्तारण किया जाता है।
5. राज्यस्तर पर न्यायालय प्रकरणों की मॉनिटरिंग, विधि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये 13 प्रपत्रों में कार्यों की मासिक समीक्षा, कुछ प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित प्रकरणों के बिरूद्व अपील

11/01/2018

करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में स्थायी समिति की बैठकें आयोजित करवाना ।

6. धारा 3/25, आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति जारी करवाना।

7. लोक सेवकों के द्वारा अपराध किये जाने की दशा में उनके विरूद्ध अभियोजन चलाने की पूर्व स्वीकृति हेतु पुलिस व अन्य विभागों से प्राप्त पत्रावलियों का विधि अनुरूप अध्ययन कर अभियेाजन स्वीकृति के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।

8. अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय से निर्णय उपरान्त प्राप्त पत्रावलियों का अध्ययन कर अपील/नो अपील की राय देना तथा अपील करने का प्रशासनिक निर्णय होने पर सक्षम न्यायालय में शीघ्र ही अपील प्रस्तुत करवाना।

9. जिले के विभिन्न विभागों के विरूद्ध उच्चतम/उच्च न्यायालय सहित विभिन्न सिविल न्यायालयों व राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स (LITES) पर प्रविष्ठि व अपडेशन करवाना। जिले के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी के साथ मासिक बैठक (MEETING) आयोजित कर विभागवार विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा करना तथा न्याय विभाग द्वारा आयोजित V.C. में भाग लेना इत्यादि।

10. हथियार लाईसेन्स जारी करने, पेट्रोल पम्प, माईनिंग, विस्फोटक पदार्थ भण्डारण स्थापित करने इत्यादि पत्रावलियों में विधिक राय देना।

11. भू–सम्परिवर्तन, विभिन्न राजस्व नियमों के तहत भूमि का आवंटन, निगमन, भूमि को लीज पर देने व लीज नवीनीकरण तथा लीज व आवंटन/निगमन का प्रारूप तैयार करवाने सहित राजस्व से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रावलियों में कानूनी बिन्दुओं की सही–सही विवेचना कर विधि सम्मत रूप देना।

12. कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर तथा विधानसभा, लोकसभा सहित अन्य निर्वाचन कार्यों में विधि अधिकारी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और निर्वाचन प्रक्रिया में उत्पन्न कठिनाईयों व कानूनी बिन्दुओं पर विवाद की स्थिति में

11/01/2018

विधि अधिकारी द्वारा ही कानून की विवेचना कर तत्समय विधिक राय देकर निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है।

13. जिला कलक्टर कार्यालय व जिले में स्थापित अन्य विभाग, जिनमें जिला कलक्टर किसी परियोजना/स्कीम में या तो अध्यक्ष होते है या सदस्य सचिव होते हैं और अध्यक्ष या सदस्य सचिव के रूप में अन्य विभागों से भी पत्रावली जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त होने पर पत्रावलियों का विधिक परीक्षण जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत विधि अधिकारी द्वारा ही किया जाता है।

हालांकि राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण के पद सृजित हैं, किन्तु उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों की अधिकता के बावजूद अधिकांश विभागों/स्तरों पर विधि अधिकारियों के समुचित स्तर व आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या के पद सृजित नहीं हैं। कार्य की अधिकता एवं समुचित स्तर के पदों की कमी के कारण विभागों में उक्त महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कुशलता व गुणवत्ता के साथ नहीं हो पाता है, जिससे राज्य की क्षमता व छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस तथ्य में कोई संशय नहीं है कि अनुभवी विधि अधिकारी न केवल विभाग के अपितु राज्य के आर्थिक/वित्तीय हितों की संरक्षा ज्यादा कुशलता व गुणवत्ता से कर सकता है।

राज्य के बढ़ते वादकरण पर नियंत्रण करने एवं राज्य के विधिक क्रियाकलापों के कुशल प्रबन्धन हेतु प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागीय स्तर व जिला स्तर पर प्रकरणों की संख्या/विधिक क्रियाकलापों की स्थिति के अनुरूप राज्यहित में 'विधि अधिकारियों' के विभिन्न पद सृजित करने की निम्नानुसार आवश्यकता है –

स्तर	पद
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी
विभागाध्यक्ष	संयुक्त विधि परामर्शी
पुलिस महानिदेशक	संयुक्त विधि परामर्शी
संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज	संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी
जिला कलक्टर	उप विधि परामर्शी

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि राज्य हित में विधि सेवा के उपरोक्तानुसार पदों के सृजन के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त कर नीतिगत निर्णय (policy decision) लिये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही कराने की कृपा करें।

11/01/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः— कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./27 दिनांकः 11.01.2018

मीटिंग नोटिस

राजस्थान विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक दिनांक 19.01.2018 को अपराह्न 1.30 से 2.30 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विधि सेवा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों (यथाः कनिष्ठ विधि अधिकारियों की पदोन्नति, विधि अधिकारियों की वेतन विसंगति से संबधित अभ्यावेदनों, वार्षिक सदस्यता शुल्क, कनिष्ठ विधि अधिकारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन, विधि सेवा की वेबसाइट की प्रगति इत्यादि) पर चर्चा की जायेगी।

कृपया कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, जिसमें संयोजक, परामर्श मण्डल एवं महिला मण्डल के सदस्य भी सम्मिलित हैं, उक्त निर्धारित समय पर बैठक में हिस्सा लेकर अपने सुझावों/विचारों से विधि सेवा के हित में किये जाने वाले कार्यों को मजबूती प्रदान करावें।

निवेदक

11/01/2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

शो.वि.सेवा/26 दिनांक 11.01.2018

सेवा में,

माननीय विधि राज्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय – प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पद सृजन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य के बढ़ते हुए विधिक कार्यकलापों के साथ–साथ जन–जागरूकता के कारण राज्य के विधिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इससे प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला स्तर के प्रत्येक कार्यालयों में कार्य भार भी बढ़ गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों के पद उसी अनुसार सृजित नहीं है। इसके अभाव में विधिक प्रकरणों का न तो उचित परीक्षण ही हो पाता है और न ही विभाग को वादकरण इत्यादि से निपटने एवं उसे नियंत्रित करने हेतु मार्गदर्शन ही प्राप्त हो पाता है। समुचित विधिक मार्गदर्शन बिना लिये गये प्रशासनिक निर्णय के कारण राजकीय वादकरण में दिनों–दिन वृद्धि हो रही है, जो राज्यहित में उचित नहीं है। यदि उक्त स्तरों पर दिन–प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विधिक समाधान समुचित स्तर के विधि अधिकारियों के पदों के सृजन से हो जाता है तो इससे आम जनता को प्रारम्भिक स्तर पर राहत मिलने के साथ ही राज्य सरकार पर वादकरण से पड़ने वाले अनावश्यक वित्तीय भार में भी कमी आयेगी।

विधि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये विधि अधिकारियों के कार्य/दायित्व निम्नानुसार हैं :–

1. विधायी प्रारूपण संम्बधी कार्य यथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उपनियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन के प्रारूप बनाना ।
2. विधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श संबंधित कार्य ।
3. नोटिस, याचिका, दावे एवं जबाब दावें इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श।
4. अपीलीय मामलों एवं निर्णयों का परीक्षण एवं परामर्श।
5. विभागीय अन्य विशिष्ट विधिक कार्य।

यद्यपि विधि विभाग द्वारा विधि अधिकारियों के लिए उपरोक्त वर्णित दायित्व/कार्य निर्धारित किए हैं परन्तु वास्तविकता में महत्वपूर्ण प्रकृति के निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं –

1. विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरूद्ध या राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत वाद/अपील/रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करना, जवाब प्रस्तुत करवाना, न्यायालय में प्रकरण की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करवाना एवं निर्णय होने पर उसके विरूद्ध अपील/नो अपील की राय देना।
2. विभिन्न अन्य प्रधिकारीगण जैसे मानवाधिकार आयोग, सूचना आयुक्त, राष्टीय ग्रीन टिब्यूनल एवं लोकायुक्त महोदय के समक्ष लम्बित प्रकरणों में राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत जवाबों का विधिक्षण व प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।
3. समय–समय पर लगने वाली लोक अदालतों के समक्ष नियमानुसार समझौता करने योग्य प्रकरणों की छटनी करना और उनको लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाकर अनावश्यक बादकरण को कम करने का प्रयास करना।
4. प्रत्येक विभाग के कुछ विशेष अधिनियम, नियम, विनियम, बने हुये हुये हैं। विभाग में पदस्थापित विधि अधिकारी द्वारा उस विभाग से सम्बन्धित विधियों का विशेष अध्ययन कर विभाग के विधिक प्रकरणों का परीक्षण कर उनका निस्तारण किया जाता है।
5. राज्यस्तर पर न्यायालय प्रकरणों की मॉनिटरिंग, विधि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये 13 प्रपत्रों में कार्यों की मासिक समीक्षा, कुछ प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित प्रकरणों के बिरूद्व अपील

करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में स्थायी समिति की बैठकें आयोजित करवाना ।

6. धारा 3/25, आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति जारी करवाना।

7. लोक सेवकों के द्वारा अपराध किये जाने की दशा में उनके विरूद्ध अभियोजन चलाने की पूर्व स्वीकृति हेतु पुलिस व अन्य विभागों से प्राप्त पत्रावलियों का विधि अनुरूप अध्ययन कर अभियेाजन स्वीकृति के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।

8. अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय से निर्णय उपरान्त प्राप्त पत्रावलियों का अध्ययन कर अपील/नो अपील की राय देना तथा अपील करने का प्रशासनिक निर्णय होने पर सक्षम न्यायालय में शीघ्र ही अपील प्रस्तुत करवाना।

9. जिले के विभिन्न विभागों के विरूद्ध उच्चतम/उच्च न्यायालय सहित विभिन्न सिविल न्यायालयों व राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स (LITES) पर प्रविष्ठि व अपडेशन करवाना। जिले के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी के साथ मासिक बैठक (MEETING) आयोजित कर विभागवार विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा करना तथा न्याय विभाग द्वारा आयोजित V.C. में भाग लेना इत्यादि।

10. हथियार लाईसेन्स जारी करने, पेट्रोल पम्प, माईनिंग, विस्फोटक पदार्थ भण्डारण स्थापित करने इत्यादि पत्रावलियों में विधिक राय देना।

11. भू–सम्परिवर्तन, विभिन्न राजस्व नियमों के तहत भूमि का आवंटन, निगमन, भूमि को लीज पर देने व लीज नवीनीकरण तथा लीज व आवंटन/निगमन का प्रारूप तैयार करवाने सहित राजस्व से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रावलियों में कानूनी बिन्दुओं की सही–सही विवेचना कर विधि सम्मत रूप देना।

12. कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर तथा विधानसभा, लोकसभा सहित अन्य निर्वाचन कार्यों में विधि अधिकारी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और निर्वाचन प्रक्रिया में उत्पन्न कठिनाईयों व कानूनी बिन्दुओं पर विवाद की स्थिति में

विधि अधिकारी द्वारा ही कानून की विवेचना कर तत्समय विधिक राय देकर निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है।

13. जिला कलक्टर कार्यालय व जिले में स्थापित अन्य विभाग, जिनमें जिला कलक्टर किसी परियोजना/स्कीम में या तो अध्यक्ष होते है या सदस्य सचिव होते हैं और अध्यक्ष या सदस्य सचिव के रूप में अन्य विभागों से भी पत्रावली जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त होने पर पत्रावलियों का विधिक परीक्षण जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत विधि अधिकारी द्वारा ही किया जाता है।

हालांकि राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण के पद सृजित हैं, किन्तु उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों की अधिकता के बावजूद अधिकांश विभागों/स्तरों पर विधि अधिकारियों के समुचित स्तर व आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या के पद सृजित नहीं हैं। कार्य की अधिकता एवं समुचित स्तर के पदों की कमी के कारण विभागों में उक्त महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कुशलता व गुणवत्ता के साथ नहीं हो पाता है, जिससे राज्य की क्षमता व छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस तथ्य में कोई संशय नहीं है कि अनुभवी विधि अधिकारी न केवल विभाग के अपितु राज्य के आर्थिक/वित्तीय हितों की संरक्षा ज्यादा कुशलता व गुणवत्ता से कर सकता है।

राज्य के बढ़ते वादकरण पर नियंत्रण करने एवं राज्य के विधिक क्रियाकलापों के कुशल प्रबन्धन हेतु प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागीय स्तर व जिला स्तर पर प्रकरणों की संख्या/विधिक क्रियाकलापों की स्थिति के अनुरूप राज्यहित में 'विधि अधिकारियों' के विभिन्न पद सृजित करने की निम्नानुसार आवश्यकता है –

स्तर	पद
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी
विभागाध्यक्ष	संयुक्त विधि परामर्शी
पुलिस महानिदेशक	संयुक्त विधि परामर्शी
संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज	संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी
जिला कलक्टर	उप विधि परामर्शी

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि राज्य हित में विधि सेवा के उपरोक्तानुसार पदों के सृजन के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त कर नीतिगत निर्णय (policy decision) लिये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही कराने की कृपा करें।

11/01/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 2018 /29

दिनांक : 15.01.2018

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद, के अध्यक्ष पद हेतु दिनांक 31.07.2017 को निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होने के उपरान्त, राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14.08.2017 को कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की गयी थी।

कार्यकारिणी के गठन के पश्चात विधि सेवा अधिकारीगण की पदोन्नती प्रक्रिया संपन्न होने पर कार्यकारिणी के कई सदस्यों की पदोन्नती उच्च पद पर हो गयी है। इसलिए कार्यकारिणी के सदस्यों के पद नाम परिवर्तित होने के कारण कार्यकारिणी गठन हेतु जारी आदेश दिनांक 14.08.2017 एवं सम्बन्धित अन्य आदेशों में संशोधन किया जाना अपेक्षित हो गया है।

अतः उक्त आदेशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

–: संरक्षक :–

श्री सुनील कुमार जोशी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

–: परामर्श मण्डल :–

1. श्री इन्द्रप्रकाश जैन, Jt.L.R.
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, Jt.L.R.
3. श्री हजारी राम ज्याणी, Jt.L.R.
4. श्री सांवर मल पारीक, Jt.L.R.
5. श्री प्रमोद कुमार कौशिक, Jt.L.R..
6. श्री हरदयाल सिंह ढाका, D.L.R
7. श्री राजेश्वर सिंह, D.L.R
8. श्री उमेन्द्र कुमार गोयल, D.L.R
9. श्री विवेक चौहान, D.L.R
10. श्री सुब्रत सान्याल, A.L.R

15.01.2018

—: कार्यकारिणी :—

वरिष्ठ उपाध्यक्ष	– श्री प्रकाश गुप्ता, उप विधि परामर्शी
	– श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी
उपाध्यक्ष	– श्री महेश गोयल, सहायक विधि परामर्शी
महासचिव	– श्री उत्तम सिंह, उप विधि परामर्शी
सचिव	– श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सहायक विधि परामर्शी
संयुक्त सचिव	– सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	– श्री विजय कुमार जैन, सहायक विधि परामर्शी
सह–कोषाध्यक्ष	– श्री महेश यादव, सहायक विधि परामर्शी
प्रवक्ता	– श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
सह प्रवक्ता	– सुश्री पूनम कुमारी गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी
समन्वयक	– श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी

—: सदस्यगण :—

श्री हारून अली, उप विधि परामर्शी
श्री छैल बिहारी अग्रवाल, उप विधि परामर्शी
श्री दातार सिंह, सहायक विधि परामर्शी
श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री संदीप सोंठवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री वेद प्रकाश मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री अरूण सिंह धाकड, कनिष्ठ विधि अधिकारी

15/01/2018

—: संभागीय पदाधिकारीगण :—

संभाग	उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
जयपुर	श्री अशोक गुप्ता DLR	श्री अमित बगडिया SLO	श्री प्रिंस जैमन JLO
जोधपुर	श्री मौहम्मद अली खां, DLR	श्री कँवरी लाल सोनी, SLO	श्री दिनेश सिंह चारण JLO
अजमेर	श्री महेश चन्द्र गौड SLO	श्री हजारी राम सिरवी DLR	श्री नन्दकिशोर बाकोलिया JLO
कोटा	श्री विनोद कुमार अग्रवाल DLR	श्री राजीव कुमार गर्ग ALR	श्री बालमुकुन्द मीणा JLO
बीकानेर	श्री रामकिशन शर्मा ALR	श्री गिरधारी लाल जाखड ALR	श्री सुखदेव सिंह SLO
उदयपुर	श्री शंकर सिंह देवडा DLR	श्री चाँद कुमार पालीवाल SLO	श्रीमती खुशबु चौबीसा JLO
भरतपुर	श्री महेन्द्र पाल सिंह SLO	श्रीमती शालिनी पाण्डे JLO	श्री सत्यभान हाडा JLO

—: महिला प्रकोष्ठ :—

अध्यक्ष :— श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी

उपाध्यक्ष :— सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी

सदस्यगण :— श्रीमती रानू चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी

सुश्री पूनम कुमारी गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी

श्रीमती दिशा फौजदार, कनिष्ठ विधि अधिकारी

सुश्री शालिनी मित्रुका, कनिष्ठ विधि अधिकारी

—: विदाई समारोह कार्यवाही समिति :—

1. श्री विजय कुमार जैन, सहायक विधि परामर्शी — अध्यक्ष
2. श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी — उपाध्यक्ष
3. श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य
4. श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य

15/01/2018

5. सुश्री पूनम कुमारी गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य
6. सुश्री शालिनी मित्रुका, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य

— : मुद्रण, प्रकाशन एवं बेवसाईट संधारण समिति :—

1. श्री महेश यादव, सहायक विधि अधिकारी — अध्यक्ष
2. श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी — उपाध्यक्ष
3. श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य
4. श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य
5. श्री रोशन कुमार कोटिया, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य
6. श्री विकास अग्रवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी — सदस्य

15/01/2018
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अति0 मुख्य सचिव, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर।

10. पंजीयन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/ राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
12. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/ सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/ राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
13. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
14. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
16. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
17. Etv Rajasthan/Z News Rajasthan को प्रसारणार्थ।
18. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

15/01/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद्

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः– कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/30 दिनांकः 19.01.2018

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक दिनांक 19.01.2018 को अपरान्ह 1.30 से 2.30 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अभी हाल में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई है। इसमें अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण कुछ कनिष्ठ विधि अधिकारियों की पदोन्नति नहीं होने के विषय पर बैठक में चर्चा हुई तथा पदोन्नति से वंचित कनिष्ठ विधि अधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने की मांग हुई। विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अभी तक पदोन्नति सम्बन्धी आदेश जारी नहीं हुए हैं, इसके अभाव में यह ज्ञात होना कठिन है कि किस अधिकारी की पदोन्नति नहीं हुई है। इसलिए पदोन्नति आदेश जारी होने के पश्चात ही आगामी अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।
2. कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पदों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए वेतन विसंगति निवारण समिति के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई कभी भी हो सकती है। समिति के समक्ष विधि सेवा का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। सदस्यों का चयन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि विधि सेवा के हित में जो सदस्य वेतन विसंगति निवारण समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान विधि सेवा का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है, वह अपनी तैयारी के सम्बन्ध में 7 दिवस के अन्दर अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दे ताकि अध्यक्ष महोदय द्वारा तद्नुसार ही समिति का गठन किया जा सके।
3. विधि सेवा परिषद् के द्वारा अपनी एक बेवसाईट बनायी गई है, जिसके नियमित संचालन, अपडेशन, संधारण एवं सेवानिवृत अधिकारियों के विदाई समारोह तथा अन्य विभिन्न खर्चों को देखते हुए विधि सेवा सदस्यों का वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/– रूपये से बढ़ाकर 500/– रूपये करने का निर्णय लिया गया। यह बढ़ोतरी दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी होगी। कोषाध्यक्ष/सह कोषाध्यक्ष/संभागीय कोषाध्यक्ष समस्त सदस्यों से उक्त सदस्यता शुल्क एकत्रित कर "राज0 विधि सेवा परिषद्" के SBI की शासन सचिवालय, जयपुर स्थित शाखा के बचत खाता संख्या 51088903206 (IFSC Code SBIN0031031) में जमा करवायेंगे। वर्ष 2018 के लिए

सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों के विदाई समारोह के लिए पृथक से सहयोग राशि नहीं लिए जाने का निर्णय भी लिया गया।

4. जिन सदस्यों ने अभी तक वर्ष 2017 का सदस्यता शुल्क एवं सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों के विदाई समारोह के लिए सहयोग राशि का भुगतान नहीं किया है, उनसे कोषाध्यक्ष/सह कोषाध्यक्ष/संभागीय कोषाध्यक्ष उक्त बकाया राशि प्राप्त कर परिषद् के उपरोक्त वर्णित बचत खाते में जमा करवाकर जमा की रसीद संघ कार्यालय में भिजवायेंगे।

5. अभी हाल में कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के पश्चात कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद अत्यधिक संख्या में रिक्त हो रहे हैं। इसलिए इन पदों को भरने के लिए नई भर्ती की कार्यवाही हेतु विधि विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. विभिन्न विभागों में पदस्थापित विधि सेवा के अधिकारीगण पदस्थापन विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नियम/परिपत्रों की प्रति संघ को उपलब्ध करायेंगे और संघ द्वारा उनको विधि सेवा की बेवसाईट पर अपलोड किया जायेगा। इससे विधि सेवा के सदस्यों को उनके कार्य सम्पादन में मदद मिलेगी।

7. विधि सेवा के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने हेतु विधि विभाग को अभ्यावेदन दिये जाने का निर्णय लिया गया। अभ्यावेदन शीघ्र ही श्री महेश गोयल, सहायक विधि परामर्शी द्वारा तैयार किया जायेगा।

8. विधि सेवा का कनिष्ठतम पद पूर्व में राज्य सेवा का पद था बाद में राज्य सरकार द्वारा उसे अधीनस्थ सेवा का पद कर दिया गया। इस सम्बन्ध में विधि सेवा के कनिष्ठतम पद, कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद को राज्य सेवा का पद करने के लिए एक अभ्यावेदन विधि विभाग को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। अभ्यावेदन तैयार करने हेतु सेवा के वरिष्ठ सदस्य श्री प्रमोद कौशिक, संयुक्त विधि परामर्शी से निवेदन किया गया। श्री महेश गोयल, सहायक विधि परामर्शी द्वारा 7 दिवस के अन्दर उक्त अभ्यावेदन तैयार करवाने में उनका सहयोग किया जायेगा।

9. अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यकारिणी के सदस्य एवं अन्य सभी सदस्यों के दो Whatsapp ग्रुप "RLS Asso. (Exe. Committee) एवं Rajasthan Legal Service नाम से बनाये गये है, जिन पर सेवा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाऐं शेयर की जाती है। इस सम्बन्ध में Whatsapp के माध्यम से सभी सदस्यों से कई बार निवेदन भी किया जा चुका है परन्तु फिर भी कुछ सदस्यों द्वारा इन Whatsapp ग्रुपों पर अनावश्यक सूचनाऐं जैसे किसी सदस्य के जन्मदिन की बधाई या किसी का शोक संदेश अथवा चुटकले आदि शेयर किये जाते हैं। ऐसे सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संघ के उदेश्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे संदेश इन ग्रुपों पर शेयर न करें बल्कि जिसको संदेश भेजा रहा रहा है उसी के Whatsapp पर शेयर करें।

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः—कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/31 दिनांकः 25.01.2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान बदनलाल, उप विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.01.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

उक्त अधिकारी के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 31.01.2018 को अपरान्ह 2.30 से 3.30 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

अतः उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

निवेदक

31/1/18

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/2018/33

दिनांक : 31-01-2018

ज्ञापन

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के रिक्त पदों को भरने के लिए नवीन भर्ती प्रक्रिया हेतु RPSC अजमेर को अभ्यर्थना भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के लगभग 227 पद स्वीकृत हैं। अभी हाल में कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति पश्चात कनिष्ठ विधि अधिकारी के कुल 96 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत रह जायेंगे। इस प्रकार वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी के लगभग 131 पद रिक्त रहेंगे। रिक्तियों की संख्या कुल स्वीकृत पदों की लगभग 58 प्रतिशत है। इतनी अधिक संख्या में विधि अधिकारियों के पद रिक्त रहने पर विभिन्न विभागों का विधिक/वादकरण सम्बन्धी कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना स्वभाविक है जो कि राज्यहित में उचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में कनिष्ठ विधि अधिकारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था और पूर्ण प्रक्रिया पश्चात वास्तविक नियुक्तियां वर्ष 2016 में हुई है। इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त समय व्यतीत होता है।

अतः निवेदन है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना शीघ्र ही भिजवाने की कृपा करे ताकि राजकार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहे।

सादर।

31/01/2018
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0 :– 70143–47174

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/2018/34

दिनांक : 02-02-2018

समस्त सम्भागीय उपाध्यक्षगण –

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद् की ओर से वेतन विसंगति निवारण समिति के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। समिति को ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने की तिथि निकल चुकी है। ऐसी स्थिति में अब समिति द्वारा विभिन्न सेवा संघों की ओर से प्रस्तुत ज्ञापनों पर व्यक्तिगत सुनवाई की जानी है। फरवरी के द्वितीय सप्ताह में समिति द्वारा विधि सेवा परिषद् को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अधिसम्भाव्य है।

कार्यकारिणी की दिनांक 19.01.2018 को आयोजित द्वितीय बैठक में समिति के समक्ष विधि सेवा का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि विधि सेवा के हित में जो सदस्य वेतन विसंगति निवारण समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान विधि सेवा का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं, वे अपनी तैयारी के सम्बन्ध में 7 दिवस के अन्दर अवगत करा दें।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने–अपने सम्भाग स्तर पर समस्त सदस्यों की आवश्यक रूप से बैठक आयोजित कर इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही सम्पादित कर सम्भाग के सदस्यों से इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त कर परिषद् कार्यालय में उपलब्ध करावें।

02/2/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0 :– 70143–47174

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(8)न्याय/17 पार्ट जयपुर, दिनांक 6.2.18

सदस्य सचिव
श्री डी.सी. सामन्त कमेटी
वित्त भवन, जयपुर।

विषयः–राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के विधि अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगति को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत ज्ञापन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, सचिवालय के पत्र के साथ श्री जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक 24 दिनांक 11.12.2017 मय अनुलग्नक मूल ही संलग्न कर लेख है कि राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के विधि अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगति को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण के संबंध में विधि विभाग की अभिशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु भिजवाई जा रही है।

06.02.18

संलग्नः–यथोक्त।

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, सचिवालय को उनकी अशा. टीप क्रमांक मु.मं.–विशेषाधिकारी(एस)/प–1 विधि/राज/18/1470 दिनांक 08.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

F 22(8) न्या/17

टिप्पणी (क्रमिक)

डायरी संख्या | रा.सं.2

1 विचाराधीन पत्र का पृष्ठ 1–17/सी पर अवलोकन करे। राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर ने माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

2 माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय ने ज्ञापन में पृष्ठ–5/सी में मार्क–'ए' पर दर्शित ग्रेड पे के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी अनुच्छेद–1/एन से चाही है। राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर ने अपने ज्ञापन में निवेदन किया है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए डॉ. एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंसा पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया है। इसमें कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) का है, जिसका वेतनमान पूर्व में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक पंजीयक, सहकारिता व रोजगार विनिमय अधिकारी के समकक्ष मानते हुए वेतन की अभिशंसा की गई थी, परन्तु इस अभिशंस के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत नहीं करके उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण पृष्ठ–3/सी पर अवलोकनीय है।

3 वर्तमान में विधि के अधिकारी सेवा के गठन के उद्देश्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे है, जिससे विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम एवं स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे है। विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वादकरण संबंधी कार्य, उनका परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारूपण संबंधी कार्य किया जाता है, इसके अलावा लाईट्स की वेबसाईट का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या आदि का कार्य किया जाता है।

4 विधि सेवा के वेतनमान पांचवे वेतनमान के समय कई सेवाओं के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया था। छठे वेतन आयोग के समय इस सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले कम वेतनमान दिया गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता तकनीकी विशेषज्ञता की है। इसीलिए निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने हेतु विधि सेवा परिषद ने मांग की है:–

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (3600/– ग्रेड पे)	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (4800/– ग्रेड पे)	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600–39100 (6000/– ग्रेड पे)	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे)

विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जारी प्रमाणित प्रति

प 22(8) न्याय/17

डायरी संख्या

टिप्पणी (क्रमिक)

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
4.	उप विधि परामर्शी	15600–39100 (7200 / – ग्रेड पे)	15600–39100 (7600 / – ग्रेड पे)
5.	संयुक्त विधि परामर्शी	15600–39100 (8200 / – ग्रेड पे)	37400–67000 (8700 / – ग्रेड पे)
6.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	37400–67000 (8700 / – ग्रेड पे)	37400–67000 (9500 / – ग्रेड पे)

5 उपरोक्त विवरण के आधार पर विधि विभाग की अभिशंसा के साथ वित्त विभाग को 7वें वेतन आयोग की कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

6 पृष्ठ–1 / सी के संदर्भ में अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

8/9

विशेषाधिकारी

08.09.17

संयुक्त शासन सचिव

08/9/17

प्रमुख शासन सचिव

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय

Pr. Sec. (Law)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग

12/09/17

(मनोज कुमार व्यास)

00528/PLS/17
11/09/17

5699/PLS/17
11/9/17

2329
11/09/17
12/09/17

Sh. RL
14/09/2017

FS(B)

13/9

13/9

JS(R-I)

13/09/2017

AS

विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
के अधीन जारी प्रमाणित प्रति

ACS, Finance
1017704922
14 SEP 2017
13/9/17

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

टिप्पणी. (कर्मिक)

प्रशासनिक विभाग को पत्रावली के अनु. 1–6 / एन का परीक्षण वित्त विभाग की आन्तरिक पत्रावली क्रमांक प.14(82)वित्त / नियम / 2008 पार्ट पर किया गया। प्रशासनिक विभाग के विधि सेवा परिसर के वेतन वृद्धि के ज्ञापन के क्रम में वित्त (नियम) विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है:–

"सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने एवं विसंगतियों से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण करने के लिए श्री डी.सी. सामन्त सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित पे कमेटी का कार्यकाल दिनांक 25.09.2017 को समाप्त हो चुका है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतन नियम बनने के पश्चात् वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

यह वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

27/09/2017

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग

4/X

JS (Justice) पत्रावली विधि विभाग से सम्बंधित होने के कारण प्रेषित की जा रही है

5-10-17

प्रमुख शासन सचिव विधि

6/10/17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख सचिव विधि

09.2017

JS (L)

विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जारी प्रमाणित प्रति

5683/PS(L) 6-10-17

8

00528/PS(L) 5-10-17

00528/PSH/17(31) 4-10-17 5/10/17

1017049922

29 SEP 2017

रा.के.मु.ज.–930–50,000–2015.

904 D:\ANILA\all work\PAREEK JI\gist.docx

राज. वि. से. प. /22

दिनांक 27.11.2017

ज्ञापन

सेवामें,

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के विधि अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने हेतु विधि विभाग द्वारा की गई अनुशंसा से सम्बन्धित पत्रावली वेतन विसंगति निराकरण समिति के समक्ष भिजवाने बाबत्।

संदर्भ :– विधि विभाग की पत्रावली प. 22 (8) न्याय/2017 ।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधि सेवा के कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पदों के लिए वर्तमान में निर्धारित वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु विधि सेवा परिषद् द्वारा मा0 विधि राज्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन को स्वीकार करते हुए विधि विभाग द्वारा वेतन विसंगति दूर करने की अभिशंसा के साथ पत्रावली वित्त विभाग को भिजवायी गई थी।

वित्त विभाग को प्रेषित की गई संदर्भित पत्रावली वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ विधि विभाग को लौटायी गई है –

"सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के क्रम में राज कार्मिकों के लिए नये वेतनमान नियम बनने के पश्चात वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।"

चूंकि प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प. 6 (5) प्र.सु/ अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 3 नवम्बर 2017 के द्वारा श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में वेतन विसंगति समिति का गठन किया जा चुका है एवं राज0 विधि सेवा परिषद् द्वारा वेतन विसंगति दूर करने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2017 को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

अतः निवेदन है कि विधि सेवा अधिकारियों के लिए वर्तमान में निर्धारित वेतनमान की विसंगति को सुधारने हेतु विधि विभाग की पत्रावली प. 22 (8) न्याय/2017 को आवश्यक कार्यवाही हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति, कमरा नं0 203–ए, "सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर के कार्यालय में भिजवाने की कृपा करें।

27/11/2017

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0 :– 70143–47174

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 37

दिनांक : 21.03.2018

माननीय, मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय – विधि सेवा परिषद् द्वारा परिषद् की नव सृजित बेवसाइट के लोकार्पण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आज राजस्थान राज्य डिजिटलाईजेशन के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। सूचना प्रौद्योगिकी को जनसाधारण तक पहुंचाने में राजस्थान राज्य को अभी हाल में लगतार दूसरे वर्ष भी बेस्ट ई–गवर्नेंस स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विधि सेवा परिषद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, राजस्थान में विधि सम्बन्धी नवीनतम जानकारी देने एवं जन सामान्य की विधिक समस्याओं के समाधान के लिए एक प्लेटफार्म का सृजन करना अपना उत्तरदायित्व समझती है। अतः परिषद् द्वारा उक्त हेतु एक वेबसाईट का सृजन किया गया है, जिसके माध्यम से विधि सम्बन्धी नवीनतम जानकारी जन सामान्य को सुलभ हो सकेगी। इस बेवसाइट के माध्यम से ही विधि सेवा परिषद् द्वारा आमजन की विधिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जायेगा।

अतः नम्र निवेदन है कि राज0 विधि सेवा परिषद् की उक्त नवीन जनोपयोगी बेवसाइट का लोकार्पण करने एवं परिषद् के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष को शासन सचिवालय के कान्फ्रेन्स हॉल में शपथ ग्रहण कराने हेतु कृपया आतिथ्य स्वीकार करें एवं उक्त हेतु आपकी सुविधानुसार तिथि एवं समय प्रदान कर विधि सेवा परिषद् को अनुग्रहीत करें।

सादर।

भवदीय

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद्

कार्यालयः—कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/38 दिनांकः 22.03.2018

सेवा में

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :— कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद को राजत्रित घोषित करने बाबत्।

महोदय

विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि विधि सेवा का गठन वर्ष 1981 में हुआ था तब विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी) का पद राज्य सेवा का पद था। विधि सहायकों (कनिष्ठ विधि अधिकारी) की भर्ती राज0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही थी। उस समय विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा किसी के अनुचित दबाव में आये बिना निडरता एवं ईमानदारी से राज्यहित में विधिक कार्यों का सम्पादन किया जा रहा था।

विधि सेवा के गठन से पूर्व विधिक कार्यों का सम्पादन अस्थायी रूप से नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। विधि सेवा के अधिकारी जिस समय राज0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए भर्ती होकर आये थे तब अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे अधिकारी विधिक कार्यों का सम्पादन कर रहे थे, जिनका चयन राज0 लोक सेवा के माध्यम से नहीं हुआ था और उनको किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना ही सेवा में ले लिया गया था। चूंकि नये अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हुआ था, इसलिए वह पूर्व में कार्य कर रहे अधिकारियों की अपेक्षा अधिक कुशल थे एवं बिना किसी दबाव के विधिक कार्यों का सम्पादन कर रहे थे। नियमित अधिकारियों द्वारा किये जा रहे गुणवक्ता पूर्ण कार्यों के कारण पूर्व में अस्थायी रूप में कार्यरत अधिकारियों में हीनता की भावना उत्पन्न हुई। इस कारण से उन्होंने विधि सहायक को डिमोर्लाईज करने के उदेश्य से विधि सहायक के पद को राज्य सेवा से हटाकर अधीनस्थ सेवा का करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया और अन्त में उसे अधीनस्थ सेवा का पद घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि विधि सेवा के अधिकारियों को भिन्न—भिन्न विभागों में कार्य करना होता है, उनका पद राजत्रित नहीं होने से वह दवाब की स्थिति में रहते है और किसी प्रकरण

का विधिक परीक्षण करने में निर्भीकता एवं निर्योग्यता की परिस्थिति महसूस नहीं कर पाते है। विभाग भी उनके कार्य को उतना महत्व नहीं दे पाते है, जितना की एक राजपत्रित अधिकारी को मिलता है। यह स्थिति राजकार्य के लिए अनुकूल नहीं है और ऐसी स्थिति में राजकार्य के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है।

विधि सेवा के अधिकारियों की सेवाओं को राज्यहित में और अधिक उपयोगी बनाने के लिए राज0 विधि सेवा परिषद् की यह पुरजोर मांग है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद को पूर्व की भांति राजसेवा का पद घोषित किया जावे। राजपत्रित पद पर सीधी भर्ती होने से विधि सेवा में अपेक्षाकृत उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे और सेवा में स्थिरता भी आयेगी क्योंकि अधीनस्थ सेवा के कारण अधिकांश अधिकारी दूसरी सेवा में जाने के प्रयास में रहते हैं, इसलिए उनमें इस सेवा के प्रति स्थिरता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है और यह स्थिति राज्यहित में नहीं है।

अतः सादर निवेदन है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) के पद को अधीनस्थ सेवा के पद से हटाकर राज्यसेवा का पद अर्थात राजपत्रित घोषित कर दिया जावे ताकि विधि सेवा के गठन का वास्तविक उदेश्य पूर्ण हो सके।

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/38 दिनांकः 22.03.2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान संतलाल शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.03.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

श्री शर्मा का सेवानिवृति समारोह दिनांक 28.03.2018 को कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जाना तय था किन्तु श्री शर्मा द्वारा निजी कारणों से उक्त समारोह में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की है।

अतः श्री शर्मा के अनुरोध पर उक्त सेवानिवृति समारोह स्थगित कर दिया गया है। उक्त परिस्थिति में परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परिषद् के प्रतिनिधियों द्वारा श्री शर्मा की उपलब्धता के अनुसार उनके सम्मानस्वरूप उन्हें स्मृति–चिन्ह एवं अभिनन्दन पत्र भेट किया जायेगा।

22.03.2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

दिनांक 31.03.2018 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि का विवरणः–

(i) 117 सदस्यों का बकाया शुल्क =NIL

117×800 = 93600/–रूपये की राशि

(ii) 3 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =500/–रूपये की राशि

3×500 = 1500/–रूपये की राशि

(iii) 8 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 300/–रूपये की राशि

8×300 = 2400/–रूपये की राशि

(iv) 1 सदस्य द्वारा जमा की गयी = 200/–रूपये की राशि

1×200 = 200/–रूपये की राशि

(v) 42 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 100/–रूपये की राशि

42×100 = 4200/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि

93600+1500 +2400+200+4200 =1,01900 /–रूपये

उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–

(i) 16 सदस्यों द्वारा ऑनलाईन = 700 /–रूपये की राशि

16×700 =11200/–रूपये

(ii) 7 सदस्यों द्वारा ऑनलाईन = 800 /–रूपये की राशि

7×800 = 5600/–रूपये

(iii) 1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन = 600 /–रूपये की राशि

1×600 = 600/–रूपये

(iv) 2 सदस्यों द्वारा ऑनलाईन = 500 /–रूपये की राशि

2×500 = 1000/–रूपये

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि

11200+5600+600+1000 =18,400 /–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि

1,01900–18400 = 83,500 /–रूपये

*** उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।**

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 15.08.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक 31.03.2018 तक वर्ष 2017 एवं 2018 की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि :–	दिनांक 31.03.2018 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1. नकद प्राप्त राशि = 83500/–रूपये 2. Online SBI Bank A/C सचिवालय स्थित शाखा के A/C No.–51088903206 में कुल जमा राशि = 18400/–रूपये * अर्थात उक्त कुल प्राप्त राशि प्रति सदस्य से दिनांक 31.03.2018 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार – कुल = 83500+18400/–रूपये = 1,01900/–रूपये संलग्न :– दिनांक 31.03.2018 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 31.03.2018 तक कुल 4 सेवानिवृत समारोह आयोजित हुए अर्थात राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा उक्त समारोह में खर्च की गयी कुल राशि = 23478/–रूपये 2. दिनांक 31.03.2018 तक राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवायी गयी बेबसाईट व संबंधित अन्य खर्चो को सम्मिलित करते हुए परिषद् द्वारा खर्च की गयी कुल राशि = 20500.40/–रूपये * अर्थात उक्त खर्चो की दिनांक 31.03.2018 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार कुल खर्चो की राशि कुल = 23478+20500.40/–रूपये = 43978.40/–रूपये संलग्न:–खर्चो से संबंधित दिनांक 31.03.2018 तक की लिस्ट

अतः उक्त नकद प्राप्त कुल राशि = 83500/–रूपये में परिषद् के उपराक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 43978.40/–रूपये का समायोजित करके शेष राशि 83500–43978.40=39521.60 अर्थात 39522/–रूपये परिषद् के एस.बी.आई बैंक,शासन सचिवालय स्थित शाखा के बचत खाता संख्या–51088903206 में जमा करवायी गयी।

नोटः– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय /कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

02/4/2018
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

02/04/2018
(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/५।

दिनांक : 23-4-18

सेवा में

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विधि सेवा परिषद् की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में विधि सेवा परिषद् के प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमन्त्रित करने बाबत्।

संदर्भ :– कार्मिक (क– 5) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 14 (17) का/क–5/2017 दिनांक 12.04.2018

महोदय

विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि विधि सेवा परिषद् द्वारा विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे परन्तु अभी तक किसी भी अभ्यावेदन के सम्बन्ध में विधि सेवा परिषद् के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु आमन्त्रित नहीं किया गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.03.2018 में समस्त प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपने–अपने विभागों के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र यथा न्यायोचित समाधान निकालने के लिए विभागीय स्तर पर कार्मिक समूहों/कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से सुसवांद व बैठकें आयोजित कर समस्याओं का यथासम्भव निराकरण कर कार्मिक विभाग को दिनांक 05.04.2018 तक अवगत करावें।

कार्मिक विभाग द्वारा पुनः दिनांक 12.0.4.2018 को एक परिपत्र जारी कर उक्त कार्यवाही/निर्णय से दिनांक 25.04.2018 तक अवगत कराने का निवेदन किया गया है, साथ में यह भी उल्लेख किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया को विभागवार अनुपालना रिपोर्ट कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2018 को सांय प्रस्तुत की जानी है।

विधि सेवा परिषद् द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अभ्यावेदनों में वर्णित मांग एवं अन्य मागें निम्नानुसार हैं–

1. राजस्थान विधि सेवा का गठन सन् 1981 में हुआ था तब विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी) का पद राज्य सेवा का पद था परन्तु बाद में इसे अधीनस्थ सेवा का पद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि विधि सेवा के अधिकारियों को भिन्न–भिन्न विभागों में कार्य करना होता है, उनका पद राजत्रित नहीं होने से वह INFERIORITY COMPLEX की

23/4/2018

स्थिति महसूस करते हैं और किसी प्रकरण का विधिक परीक्षण करने में निर्भीकता एवं सहजता का वातावरण महसूस नहीं कर पाते हैं। विभाग भी उनके कार्य को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं, जितना कि एक राजपत्रित अधिकारी को मिलता है। यह स्थिति राजकार्य के लिए अनुकूल नहीं है और ऐसी स्थिति में राजकार्य के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है।

विधि सेवा के अधिकारियों की सेवाओं को राज्यहित में और अधिक उपयोगी बनाने के लिए राज0 विधि सेवा परिषद् की यह पुरजोर मांग है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद को पूर्व की भांति राज्यसेवा का पद घोषित किया जावे। राजपत्रित पद पर सीधी भर्ती होने से विधि सेवा में अपेक्षाकृत उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे और सेवा में स्थिरता भी आयेगी क्योंकि अधीनस्थ सेवा के कारण अधिकांश अधिकारी दूसरी सेवा में जाने के प्रयास में रहते हैं, इसलिए उनमें इस सेवा के प्रति स्थायित्व की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है और यह स्थिति भी राज्यहित में नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) के पद को अधीनस्थ सेवा के पद से हटाकर राज्यसेवा का पद अर्थात राजपत्रित घोषित किया जावे ताकि विधि सेवा के गठन का वास्तविक उदेश्य पूर्ण हो सके।

2. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान में 5वें एवं 6वें वेतन आयोग के पश्चात स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई विसंगति को सुधारने के साथ ही 7वें वेतन आयोग में राज्य की समकक्ष सेवाओ एवं केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों को दिये गये वेतनमान के समकक्ष लाने के लिए राज्य की विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार संशोधित किया जाना वांछनीय है –

पद	वर्तमान वेतनमान जो कि सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया	निर्धारित वर्तमान वेतनमान की विसंगति दूर कर वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा जो वेतनमान निर्धारित करना है।
कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 3600) L-10	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे) **L-11**
वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 4800) L-12	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे) **L-14**
सहायक विधि परामर्शी (ALR)	15600–39100 (ग्रेड पे 6000) L-15	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे) **L-16**
उप विधि परामर्शी (DLR)	15600–39100 (ग्रेड पे 7200) L-18	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे) **L-19**
संयुक्त विधि परामर्शी (Jt. LR)	15600–39100 (ग्रेड पे 8200) L-20	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे) **L-21**
व0 संयुक्त विधि परामर्शी (Sr. Jt.LR)	37400–67000 (ग्रेड पे 8700) L-21	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे) **L-23**

3. वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारीगण को किसी प्रकार का भत्ता व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध नहीं है। विधि सेवा के कार्य सम्पादन की प्रकृति से ही स्पष्ट है कि विधि सेवा के सदस्यों को वादकरण कार्य सम्पादित करना होता है। मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता व उनके सहायकों से एवं प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष

23/4/2018

आदि के साथ **निजी खर्चे पर दूरभाष/मोबाईल पर वार्ता/व्यक्तिगत सम्पर्क/बैठक आदि नियमित रूप से सम्पादित किये जाते हैं,** लेकिन विधि सेवा के सदस्यों को दूरभाष/मोबाईल एवं यात्रा व्यय नहीं दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार में मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी मोबाईल भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

विधि अधिकारीगण को किसी भी प्रकरण में उचित व प्रभावी विधिक राय देने से पूर्व तत्सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों के निर्णय/अधिनियम/ नियम/परिनियम के सम्बन्ध में विधिक पुस्तकों का अवलोकन आवश्यक होता है। उक्त प्रकरण में निवेदन है कि राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। **विधि अधिकारीगण को स्वयं के खर्चे पर उक्त पुस्तकें जुटानी पड़ती हैं।** उक्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विधि अधिकारीगण को लाईब्रेरी भत्ता भी स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यक्षमता पर जहां विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वही राज्य/विभाग की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

विधि अधिकारीगण द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उपरोक्त वर्णित कार्यों की प्रकृति एवं उनके द्वारा किए जा रहे व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायोचित दर से इन्टरनेट सुविधा सहित दूरभाष/मोबाईल भत्ता, वाहन भत्ता एवं लाईब्रेरी भत्ता स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

4. विधि सेवा के अधिकारियों को न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में समय–समय पर राजकीय अधिवक्तागणों से वार्ता हेतु एवं अन्य कार्यवाही हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में जाना पडता है और आवश्यकता पडने पर वहां पर स्टे भी करना पडता है परन्तु कनिष्ठ विधि अधिकारी से लेकर सहायक विधि परामर्शी तक के अधिकारियों को सर्किट हाउस में ठहरने की अनुमति नहीं मिलती है। इसके अभाव में अधिकारिगणों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पडता है। इसलिए राज्यहित में यह आवश्यक है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी को सर्किट हाउस में ठहरने के लिए पात्र घोषित कराया जावे।
5. विधि सेवा के अधिकारीगण के पास एल.एल.बी. की प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद भी वह प्रेक्टिस करने से वंचित हैं। इसलिए विधि सेवा के अधिकारियों को डॉक्टर्स के समान Non Practice allowance स्वीकृत किया जावे।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि विधि सेवा परिषद् की उपरोक्त वर्णित मांगों के सम्बन्ध में शीघ्र ही वार्ता कर उचित समाधान निकालकर विधि विभाग के निर्णय से समयान्तर्गत कार्मिक विभाग को अवगत कराने की कृपा करें।

23/4/2018

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद

मो0 न0 7014347174

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांक प.14(17)का./क–5/2017 जयपुर दिनांक 23-3-2018

समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण,
समस्त अति0 मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव।

–:परिपत्रः–

दि. 20/03/2018 को आयोजित मंत्रीमण्डलीय बैठक के तुरन्त पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान शीघ्रातिशीघ्र किया जाना है। इस कार्य हेतु सभी प्रशासनिक विभागों के प्रभारी माननीय मंत्रीगणों/राज्यमंत्रीगणों एवं प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने–अपने विभागों के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र यथा न्यायोचित समाधान निकालने के लिए विभागीय स्तर पर कार्मिक समूहों/कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से सुसंवाद स्थापित किये जाने हेतु उनके साथ शीघ्र बैठकों का आयोजन करें। प्रशासनिक विभाग कार्मिक संगठनों की समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर निम्न प्रकार सुनिश्चित करें:–

1. कर्मचारी कल्याण से संबंधित घोषणाएँ जो, सुराज संकल्प यात्रा, बजट घोषणा या मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित है, के कियान्वयन की समीक्षा करें तथा कियान्वयन हेतु आवश्यक निर्णय लिये जाकर कार्यवाही प्रारंभ करें तथा जिन मांगो का वित्तीय प्रभार नहीं है उन पर शीघ्र निर्णय लिया जावे।
2. जिन मांगो/घोषणाओं का वित्तीय प्रभार है, ऐसे बिन्दु अपनी टिप्पणी के साथ वित्त विभाग को संदर्भित करें।
3. वेतन विसंगतियों से संबंधित मागों को श्री डी.सी. सामन्त समिति को संदर्भित करें।
4. माननीय न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों के हित में दिये गये समस्त निर्णयों की पालना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय स्तर पर आने–वाले सात कार्य दिवस अवधि में अर्थात् 05.04.2018 तक आवश्यक बैठकों का आयोजन कराकर कृत निर्णयों से अवगत करावें।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव, कार्मिक

स्मरण परिपत्र–द्वितीय

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

दिनांक 12.04.2018

क्रमांक प.14(17) का / क–5 / 2017

समस्त माननीय मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण,
समस्त अति0 मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव ।

–:परिपत्र:–

दिनांक 20.03.2018 को आयोजित मंत्रीमण्डलीय बैठक के तुरन्त पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में कार्मिक (क–5) विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.03.2018 जारी किया गया, का अवलोकन करावें जिसके द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों के प्रभारी माननीय मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण एवम् प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवों से यह अपेक्षा की गई थी कि आप सभी अपने–अपने विभागों के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र यथा न्यायोचित समाधान निकालने के लिए विभागीय स्तर पर कार्मिक समूहों / कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से सुसंवाद व बैठकें आयोजित कर समस्याओं का यथासम्भव निराकरण कर इस विभाग को दिनांक 05.04.2018 तक अवगत करावें, लेकिन वांछित सूचना अभी तक अपेक्षित है।

इस संबंध में विभाग द्वारा जारी स्मरण परिपत्र दिनांक 05.04.2018 के अनुसरण में आग्रह किया जाता है कि विभागीय स्तर पर कार्मिक समूहों / कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित की गई / की जाने वाली सभी बैठकों की दिनांक तय कर उसकी सूची कार्मिक (क–5) विभाग को दिनांक 15.04.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाएं, साथ ही कार्मिक संगठनों के साथ ये समस्या निराकरण बैठकें सम्पादित होने के पश्चात विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही / निर्णयों से दिनांक 25.04.2018 तक आवश्यक रूप से कार्मिक (क–5) विभाग को अवगत करावें।

यहां उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया को विभागवार अनुपालना रिपोर्ट कार्मिक (क–5) विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2018 को सायं प्रस्तुत की जानी है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(निहाल चन्द गोयल)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया ।
(2) वरिष्ठ शासन उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव महोदय ।
(3) निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।

शासन सचिव, कार्मिक

कार्यालय वेतन विसंगति निवारण समिति
"सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांकः प–1(14)पीएआरसी/2017 जयपुर, दिनांकः 23.4.2018

अध्यक्ष/महासचिव,

श्री जितेन्द्र सिंह, राज. विधि सेवा परिषद्
कमरा नं. 1007, मुख्य भवन शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः वेतन विसंगति बाबत प्राप्त अभ्यावेदन पर आपके संघ का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिशः अवसर।

संदर्भः आपका अभ्यावेदन संख्या 20 दिनांक 23.11.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 को पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 सम्बन्धी अधिसूचनाएँ जारी की गईं।

राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 03.11.2017 द्वारा वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया। इस समिति के कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से वेतनमान विसंगति के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों का परीक्षण कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना भी शामिल है।

वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 20.11.2017 एवं 21.12.2017 के ज़रिए प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से वेतन विसंगति से सम्बन्धित अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए थे।

समिति अपने कार्यक्षेत्र के दृष्टिगत वेतन विसंगति के संदर्भ में आपका पक्ष सुनना चाहती है। अतः आप द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन/अभ्यावेदनों के संदर्भ में समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 2.5.18 को ~~पूर्वाह्न~~/अपराह्न 3:00 बजे समिति कक्ष "सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित भवन, जनपथ, जयपुर में उपस्थित होने का श्रम करें। कृपया अपना पक्ष रखने हेतु अधिकतम 5 प्रतिनिधियों को साथ लावें।

भारत सरकार के विसंगति समिति के संदर्भ में विसंगति की परिभाषा/कार्यक्षेत्र का विवरण उनके नवीनतम आदेश ओ.एम.संख्या 11/2/2016–JCA दिनांक 14.03.2018 में वर्णित है, जो भारत सरकार की वेबसाइट www.dopt.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

सदस्य सचिव

सं. 11/2/2016-जेसीए

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना (जेसीए) अनुभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 14 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए विसंगति समिति गठित करना - परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर डीओपीटी के दिनांक 20.02.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने, और विसंगति की परिभाषा में निम्नलिखित और संशोधन को सम्मिलित करने का निदेश हुआ है:

> **"जहाँ संशोधित भत्ते की राशि मौजूदा दर से कम हो अथवा संशोधित भत्ते का कार्यान्वयन करते समय अन्य कोई विसंगति पाई गई हो"**

2. कार्यालय ज्ञापन में उपर्युक्त पैरा को सम्मिलित करने, विसंगति की परिभाषा निम्नानुसार होगी :-

(1) **विसंगति की परिभाषा :-**

विसंगति में निम्नलिखित मामले शामिल होंगे:

क) जहाँ सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष का मत हो कि किसी सिफारिश से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांत अथवा नीति का उल्लंघन हो रहा हो जिसके लिए की कारण न दिया गया हो;

ख) जहाँ सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 द्वारा यथाअधिसूचित संशोधन पूर्व ढांचे के तहत वेतन बैंड में लागू ग्रेड वेतन के अनुरूप वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम स्तर उस राशि से कम हो, जिसका कोई कर्मचारी, उक्त नियमावली में समाविष्ट वेतन निर्धारण के फार्मूले के अनुसार; उस नियत की जाने वाली राशि का हकदार है;

ग) जहाँ सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष का यह मत हो कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के फलस्वरूप क्षैतिज और उर्ध्वाधर सापेक्षताएं असंतुलित हो गई हैं और जिसके कारण विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है।

घ) जहाँ संशोधित भत्ते की राशि मौजूदा दर से कम हो अथवा संशोधित भत्ते का कार्यान्वयन करते समय अन्य कोई विसंगति पाई गई हो।

3. दिनांक 16.8.2016 के संदर्भ सं. 11/2/2016-जेसीए के तहत डीओपीटी द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन की शेष विषयवस्तु अपरिवर्तनीय रहेगी।

(डी. के. सेनगुप्ता)
उप सचिव (जेसीए)
दूरभाष :- 23040255

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:

1. सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
2. एनआईसी, डीओपीटी की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करने के लिए।

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 51

दिनांक : 23-4-18

सेवा में

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विधि सेवा परिषद् की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में विधि सेवा परिषद् के प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमन्त्रित करने बाबत्।

संदर्भ :– कार्मिक (क– 5) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 14 (17) का/क–5/2017 दिनांक 12.04.2018

महोदय

विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि विधि सेवा परिषद् द्वारा विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे परन्तु अभी तक किसी भी अभ्यावेदन के सम्बन्ध में विधि सेवा परिषद् के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु आमन्त्रित नहीं किया गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.03.2018 में समस्त प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपने–अपने विभागों के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र यथा न्यायोचित समाधान निकालने के लिए विभागीय स्तर पर कार्मिक समूहों/कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से सुसवांद व बैठकें आयोजित कर समस्याओं का यथासम्भव निराकरण कर कार्मिक विभाग को दिनांक 05.04.2018 तक अवगत करावें।

कार्मिक विभाग द्वारा पुनः दिनांक 12.0.4.2018 को एक परिपत्र जारी कर उक्त कार्यवाही/निर्णय से दिनांक 25.04.2018 तक अवगत कराने का निवेदन किया गया है, साथ में यह भी उल्लेख किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया को विभागवार अनुपालना रिपोर्ट कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2018 को सांय प्रस्तुत की जानी है।

विधि सेवा परिषद् द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अभ्यावेदनों में वर्णित मांग एवं अन्य मागें निम्नानुसार हैं–

1. राजस्थान विधि सेवा का गठन सन् 1981 में हुआ था तब विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी) का पद राज्य सेवा का पद था परन्तु बाद में इसे अधीनस्थ सेवा का पद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि विधि सेवा के अधिकारियों को भिन्न–भिन्न विभागों में कार्य करना होता है, उनका पद राजत्रित नहीं होने से वह INFERIORITY COMPLEX की

23/4/2018

स्थिति महसूस करते हैं और किसी प्रकरण का विधिक परीक्षण करने में निर्भीकता एवं सहजता का वातावरण महसूस नहीं कर पाते हैं। विभाग भी उनके कार्य को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं, जितना कि एक राजपत्रित अधिकारी को मिलता है। यह स्थिति राजकार्य के लिए अनुकूल नहीं है और ऐसी स्थिति में राजकार्य के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है।

विधि सेवा के अधिकारियों की सेवाओं को राज्यहित में और अधिक उपयोगी बनाने के लिए राज0 विधि सेवा परिषद् की यह पुरजोर मांग है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद को पूर्व की भांति राज्यसेवा का पद घोषित किया जावे। राजपत्रित पद पर सीधी भर्ती होने से विधि सेवा में अपेक्षाकृत उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे और सेवा में स्थिरता भी आयेगी क्योंकि अधीनस्थ सेवा के कारण अधिकांश अधिकारी दूसरी सेवा में जाने के प्रयास में रहते हैं, इसलिए उनमें इस सेवा के प्रति स्थायित्व की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है और यह स्थिति भी राज्यहित में नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) के पद को अधीनस्थ सेवा के पद से हटाकर राज्यसेवा का पद अर्थात राजपत्रित घोषित किया जावे ताकि विधि सेवा के गठन का वास्तविक उदेश्य पूर्ण हो सके।

2. विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान में 5वें एवं 6वें वेतन आयोग के पश्चात स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई विसंगति को सुधारने के साथ ही 7वें वेतन आयोग में राज्य की समकक्ष सेवाओ एवं केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों को दिये गये वेतनमान के समकक्ष लाने के लिए राज्य की विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार संशोधित किया जाना वांछनीय है –

पद	वर्तमान वेतनमान जो कि सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया	निर्धारित वर्तमान वेतनमान की विसंगति दूर कर वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा जो वेतनमान निर्धारित करना है।
कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 3600) L-10	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे) **L-11**
वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 4800) L-12	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे) **L-14**
सहायक विधि परामर्शी (ALR)	15600–39100 (ग्रेड पे 6000) L-15	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे) **L-16**
उप विधि परामर्शी (DLR)	15600–39100 (ग्रेड पे 7200) L-18	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे) **L-19**
संयुक्त विधि परामर्शी (Jt. LR)	15600–39100 (ग्रेड पे 8200) L-20	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे) **L-21**
व0 संयुक्त विधि परामर्शी (Sr. Jt.LR)	37400–67000 (ग्रेड पे 8700) L-21	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे) **L-23**

3. वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारीगण को किसी प्रकार का भत्ता व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध नहीं है। विधि सेवा के कार्य सम्पादन की प्रकृति से ही स्पष्ट है कि विधि सेवा के सदस्यों को वादकरण कार्य सम्पादित करना होता है। मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता व उनके सहायकों से एवं प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष

23/4/2018

आदि के साथ निजी खर्चे पर दूरभाष/मोबाईल पर वार्ता/व्यक्तिगत सम्पर्क/बैठक आदि नियमित रूप से सम्पादित किये जाते हैं, लेकिन विधि सेवा के सदस्यों को दूरभाष/मोबाईल एवं यात्रा व्यय नहीं दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार में मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी मोबाईल भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

विधि अधिकारीगण को किसी भी प्रकरण में उचित व प्रभावी विधिक राय देने से पूर्व तत्सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों के निर्णय/अधिनियम/ नियम/परिनियम के सम्बन्ध में विधिक पुस्तकों का अवलोकन आवश्यक होता है। उक्त प्रकरण में निवेदन है कि राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विधि अधिकारीगण को स्वयं के खर्चे पर उक्त पुस्तकें जुटानी पड़ती हैं। उक्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विधि अधिकारीगण को लाईब्रेरी भत्ता भी स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यक्षमता पर जहां विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वही राज्य/विभाग की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

विधि अधिकारीगण द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उपरोक्त वर्णित कार्यों की प्रकृति एवं उनके द्वारा किए जा रहे व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायोचित दर से इन्टरनेट सुविधा सहित दूरभाष/मोबाईल भत्ता, वाहन भत्ता एवं लाईब्रेरी भत्ता स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

4. विधि सेवा के अधिकारियों को न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में समय–समय पर राजकीय अधिवक्तागणों से वार्ता हेतु एवं अन्य कार्यवाही हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में जाना पडता है और आवश्यकता पडने पर वहां पर स्टे भी करना पडता है परन्तु कनिष्ठ विधि अधिकारी से लेकर सहायक विधि परामर्शी तक के अधिकारियों को सर्किट हाउस में ठहरने की अनुमति नहीं मिलती है। इसके अभाव में अधिकारिगणों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पडता है। इसलिए राज्यहित में यह आवश्यक है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी को सर्किट हाउस में ठहरने के लिए पात्र घोषित कराया जावे।
5. विधि सेवा के अधिकारीगण के पास एल.एल.बी. की प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद भी वह प्रेक्टिस करने से वंचित हैं। इसलिए विधि सेवा के अधिकारियों को डॉक्टर्स के समान Non Practice allowance स्वीकृत किया जावे।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि विधि सेवा परिषद् की उपरोक्त वर्णित मांगों के सम्बन्ध में शीघ्र ही वार्ता कर उचित समाधान निकालकर विधि विभाग के निर्णय से समयान्तर्गत कार्मिक विभाग को अवगत कराने की कृपा करें।

23/4/2018

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद

मो0 न0 7014347174

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/42 दिनांक : 25.04.2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान मुरलीधर भारद्वाज, संयुक्त विधि परामर्शी, अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 30.04.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

श्री भारद्वाज जी से बार–बार अनुरोध करने पर भी उन्होंने परिवार में आकस्मिक घटना घटित होने के कारण सेवानिवृति समारोह में सम्मिलित होने में पूर्ण रूप से असमर्थता व्यक्त की है।

अतः श्री भारद्वाज के अनुरोध पर उक्त सेवानिवृति समारोह पूर्णरूपेण स्थगित कर दिया गया है।

25/04/2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

दिनांक : 25-04-2018

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 43

प्रिय साथियों,

आप सब को विदित है कि विधि सेवा परिषद् की ओर से वेतन विसंगति समिति के समक्ष ज्ञापन पूर्व में ही प्रस्तुत किया हुआ है। वेतन विसंगति समिति द्वारा विधि सेवा परिषद् को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 03.05.2018 को दोपहर 3.00 बजे का समय सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया हैं। इसके लिए परिषद् द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी संदर्भ में परिषद् द्वारा मांगे गये वेतनमान से राजकोष पर पडने वाले वित्तीय भार की गणना भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

अतः वित्तीय भार की गणना हेतु सभी सम्मानीय सदस्यों से निवेदन है कि वह वर्ष जुलाई, 2016 एवं जुलाई, 2017 में पुराने वेतनमान के तहत जारी वेतन वृद्धि आदेशों की प्रति 02 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से परिषद् कार्यालय को व्यक्तिशः उपलब्ध करवावें ताकि शनिवार व रविवार के अवकाश में उक्त गणना सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा सके।

जो सदस्य परिषद् कार्यालय में उक्त दस्तावेज व्यक्तिशः उपलब्ध कराने में पूर्णतः असमर्थ हैं, वह वाट्सएप के माध्यम से भी भिजवा सकते हैं।

25/4/18

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर

सातवें वेतन आयोग में रही विसंगति के संबंध में गठित माननीय डी.सी. सामन्त कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. राजस्थान राज्य में बढते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादकरण पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं निस्तारण हेतु विद्वान महाधिवक्ता डॉ. एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विधि सेवा के गठन की सिफारिश कर विधि सेवा के कनिष्ठतम पद **"विधि सहायक" (वर्तमान में पदनाम–कनिष्ठ विधि अधिकारी)** को सहायक वाणिज्यिक अधिकारी, सहायक पंजीयक, सहकारिता व रोजगार अधिकारी के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई। **वर्तमान में उक्त तीनों पदों की ग्रेड–पे 4800/–रू. है, जबकि कनिष्ठ विधि अधिकारी का ग्रेड–पे मात्र 3600/–रू.** है। अतः कनिष्ठ विधि अधिकारी को कम से कम ग्रेड–पे 4200/–रू. स्वीकृत किया जाना पूर्णतः न्यायोचित होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा डॉ. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान विधि सेवा का गठन कर दिया गया। **प्रारम्भ में विधि सहायक का पद राज्य सेवा में राजपत्रित था।** बाद में बिना किसी औचित्य और आधार के विधि सहायक के पद को अधिनस्थ सेवा में शामिल कर अराजपत्रित कर दिया गया, जिससे उक्त पद उन सेवाओं के कार्मिकों के समकक्ष हो गया, जिनकी योग्यताऐ विधि सेवा के सदस्यों की योग्यताओं से बहुत ही निम्न स्तर की है, साथ ही विधि सेवा का वेतनमान उन अन्य सेवाओं के अनुरूप स्वीकृत किया गया। पश्चातवर्ती कार्यवाही करते हुए अन्य सेवाओं के वेतनमानों में समय–समय संशोधन कर वृद्धि कर दी गई, जबकि विधि सेवा का वेतनमान अन्य सेवाओं की अपेक्षा कम निर्धारित किया जाता रहा। सबसे दुखद एवं आश्चर्यजनक स्थिति तब उत्पन्न हुई, जब पांचवे और छठे वेतनमान में उन सेवाओं को विधि सेवा से उच्च वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया, जिनको पूर्व में विधि सेवा को स्वीकृत वेतनमान से भी कम वेतनमान मिल रहा था।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के अधीन अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित **व्यावसायिक डिग्री योग्यता वाली जितनी भी सेवायें है उनमें विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी) का वेतनमान सबसे कम रखा गया है, जबकि इस पद के लिये योग्यता विधि स्नातक (व्यावसायिक डिग्री) निर्धारित है। ऐसी स्थिति में विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी) को अन्य व्यावसायिक डिग्री योग्यता वाली सेवाओं को दिये जा रहे वेतनमान के समकक्ष वेतन (ग्रेड–पे 4200/–रू) दिया जाना न्यायोचित है।**

4. विधि सहायक **(वर्तमान में पदनाम–कनिष्ठ विधि अधिकारी)** का वेतनमान कम होने के वजह से इस पद पर चयनित अधिकारी प्रारम्भ से ही इस सेवा को

03/5/2018

छोडकर अन्य सेवाओं में पलायन करते रहे है। जैसे– **राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 में जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण 150 अभ्यर्थियों के वर्ष 2016 में चयन/कार्यग्रहण करने के उपरान्त 64 कनिष्ठ विधि अधिकारी विधि सेवा को छोडकर अन्य सेवाओं में पलायन कर चुके है।** प्रतिभा के पलायन को रोके जाने के लिये विधि सेवा के पदों का वेतनमान न्यायोचित किया जाना आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य भी है, ताकि सेवा के गठन का उद्देश्य प्रभावी रूप से पूर्ण हो सके।

5. विभाग में पदस्थापित विधि सेवा अधिकारी विधि शाखा का नियंत्रक अधिकारी होता है। विधि शाखा में मंत्रालयिक सेवा के चयनित वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों का वेतनमान कनिष्ठ विधि अधिकारी से अधिक होने की वजह से उनके द्वारा पत्रावलियां संधारित कर प्रस्तुत करने में आना–कानी की जाती है तथा स्वयं को कनिष्ठ विधि अधिकारी से अधिक वेतनमानधारी बताते हुए अपने आप को वरिष्ठ बताकर विवाद पैदा किया जाता है। जिससे राजकार्य प्रभावित होता है तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पडता है।

6. राजस्थान विधि सेवा नियमों में कनिष्ठ विधि अधिकारी पद की न्यूनतम योग्यता विधि स्नातक (प्रोफेशनल डिग्री) निर्धारित है। विधि स्नातक में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा एन्ट्रेन्स टेस्ट उत्तीर्ण करने पर मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिये 27 विषयों की परीक्षा न्यूनतम 48 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक होता है। कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर आरपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के चार प्रश्न पत्रों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के उपरान्त वरिष्ठता के आधार पर साक्षात्कार के बाद मेरिट के आधार पर चयन होता है।

7. विधि स्नातक (प्रोफेशनल डिग्री) को केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी योग्यता मानकर तकनीकी योग्यता वाली अन्य सेवाओ के समकक्ष उच्च वेतनमान केन्द्र सरकार में ग्रेड–पे 4600/–रू. स्वीकृत किया गया है।

8. राजस्थान राज्य में ही रीको में कनिष्ठ विधि अधिकारी का ग्रेड–पे 4200/–रू., और बृज विश्वविद्यालय आदि में कनिष्ठ विधि अधिकारी को ग्रेड–पे 4800/–रू. स्वीकृत कर रखा है जो विधि विभाग में कार्यरत कनिष्ठ विधि अधिकारियों से अधिक है, लेकिन कार्य की प्रकृति और दायित्व समान है। अतः एक ही राज्य में समान कार्य के लिये समान वेतनमान संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसरण में दिया जाना न्यायोचित होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब, दिल्ली एवं जम्मू–कश्मीर आदि राज्यों में विधि सहायक का वेतनमान ग्रेड–पे 4200/–रू. स्वीकृत है।

03/5/2018

9. वर्तमान में विधि सेवा के अधिकारीगणों को किसी प्रकार का भत्ता व अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायालय प्रकरणों के संबंध में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता व उनके सहायकों से एवं प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष आदि से निजी खर्चे पर दूरभाष/मोबाईल पर वार्ता की जाती है एवं व्यक्तिगत खर्चे पर वाहन व्यय किया जाकर संपर्क किया जाता है। राज्य सरकार में मंत्रालयिक कर्मचारियों को मोबाईल भत्ता एवं पुलिस कर्मियों को यात्रा व्यय के रूप में अपने निजी वाहनों हेतु पेट्रोल भत्ता दिया जा रहा हैं। **अतः विधि सेवा के अधिकारियों की कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मोबाईल/इंटरनेट भत्ता/यात्रा व्यय के रूप में पेट्रोल भत्ता दिया जाना न्यायोचित है।**

10. विधि सेवा के अधिकारियों को किसी भी प्रकरण में उचित व प्रभावी विधिक राय देने से पूर्व विभिन्न न्यायालयों के निर्णय/अधिनियम/नियम आदि के संबंध में विधिक पुस्तकों का अवलोकन करना आवश्यक होता है। इस संबंध में निवेदन है कि राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। विधि अधिकारीगण को स्वयं के खर्चे पर उक्त पुस्तके जुटानी पडती है, अतः उक्त **पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विधि अधिकारीगणों को लाईब्रेरी भत्ता दिया जाना न्यायोचित है।**

11. विधि सेवा के अधिकारियों को न्यायालय प्रकरणों के संबंध में प्रभावी न्यायिक कार्यवाही के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा उच्च न्यायालय जोधपुर, जयपुर एवं राज्य के अन्य जिलों में जाना पडता है और आवश्यकता पडने पर वहां पर रात्रि विश्राम/स्टे भी करना पडता है। राजस्थान हाउस/सर्किट हाउस सुविधा के अभाव में विधि सेवा के अधिकारीगणों को असुविधा का सामना करना पडता है। अतः राज्यहित में **विधि सेवा के समस्त पदों के अधिकारीगणों को राजस्थान हाउस/सर्किट हाउस में ठहरने का पात्र घोषित किया जाना न्यायोचित है।**

12. वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद राज्य सेवा का होने के बावजूद 4800/–रू. ग्रेड–पे दी जा रही है, जबकि अन्य सेवाओं में राज्य सेवा के अधिकांश पदों का न्यूनतम ग्रेड–पे 5400/–रू. है। अतः **वरिष्ठ विधि अधिकारी के कार्यो की प्रकृति एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम ग्रेड–पे 5400/–रू. दिया जाना न्यायोचित है, और इसी क्रम विधि सेवा के अन्य पदों का यथा सहायक विधि परामर्शी का ग्रेड–पे 6600/–रू0, उप विधि परामर्शी का ग्रेड–पे 7600/–रू., संयुक्त विधि परामर्शी का ग्रेड–पे 8700/–रू. एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी का ग्रेड–पे 9500/–रू0 किया जाना न्यायोचित है।** यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा उक्त

03/5/2018

वेतनमान एवं भत्तों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में 7वें वेतन आयोग कमेटी के समक्ष अनुशंषा की हुई है।

13. निवेदित वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर राज्य सरकार पर निम्नानुसार मासिक वित्तीय भार पड़ना संभावित है :–

क्र. सं.	पद का नाम	वर्तमान में कार्यरत संख्या संख्या x ग्रेड–पे अन्तर राशि	कुल स्वीकृत पद संख्या x ग्रेड–पे अन्तर राशि
1.	क. विधि अधिकारी	96X600=57,600	252 X600=1,51,200
2.	व. विधि अधिकारी	69X600=41,400	176 X600=10,5,600
3.	सहायक विधि परामर्शी	80X600=48,000	93 X600=55,800
4.	उप विधि परामर्शी	44X400=17,600	55 X400=22,000
5.	संयुक्त विधि परामर्शी	17X500=8,500	29 X500=14,500
6.	व. संयुक्त विधि परामर्शी	6X800=4800	11 X800=8800
कुल अनुमानित वित्तीय भार		1,77,900/–रू.	3,57,900/–रू.

14. उपरोक्त तथ्यों एवं प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को निम्नानुसार वेतनमान एवं उक्त वर्णित भत्ते/सुविधा स्वीकृत करने का अनुरोध है :–

कनिष्ठ विधि अधिकारी – 9300–34800 (ग्रेड–पे 4200/–) एल–11
वरिष्ठ विधि अधिकारी – 15600–39100 (ग्रेड–पे 5400/–) एल–14
सहायक विधि परामर्शी – 15600–39100 (ग्रेड–पे 6600/–) एल–16
उप विधि परामर्शी – 15600–39100 (ग्रेड–पे 7600/–) एल–19
संयुक्त विधि परामर्शी – 37400–67000 (ग्रेड–पे 8700/–) एल–21
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी – 37400–67000 (ग्रेड–पे 9500/–) एल–23

सादर।

03/5/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ ५६

दिनांक :10.05.2018.....

सेवामें,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
वेतन विसंगति निवारण समिति,
सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा एवं विधि रचना सेवा के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने बाबत्।

सन्दर्भ :– समिति के समक्ष दिनांक 03.05.2018 को अपराह्न 3.00 बजे सुनवाई के समय विधि सेवा परिषद् को दिये गये निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि राज0 विधि सेवा एवं राज0 विधि रचना सेवा के सेवा नियम, नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, कर्तव्य एवं वेतनमान आदि के संबन्ध में तुलनात्मक विवरण उक्त निर्देशों की पालना में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

10/5/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

01/

दिनांक 03.05.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे वेतन विसंगति निवारण समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विधि सेवा एवं विधि रचना सेवा का तुलनात्मक विवरण

	विधि सेवा	विधि रचना सेवा
सेवा नियम	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981	राज0 विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981
नियुक्ति प्रक्रिया	कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से 100 % सीधी भर्ती होती है और अन्य सभी वरिष्ठ पद 100 % पदोन्नति से भरे जाते हैं।	विधि रचनाकार के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से 100 % सीधी भर्ती होती है और अन्य सभी वरिष्ठ पद 100 % पदोन्नति से भरे जाते हैं।
शैक्षणिक योग्यता	विधि स्नातक (Professional Degree)	विधि स्नातक (Professional Degree) कला स्नातक में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक ऐच्छिक विषय रहा हो।
प्रतियोगी परीक्षा हेतु Sylabus	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न 4 प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा ली जाती है । 1. भारत का संविधान। 2. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 । 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, परिसीमा अधिनियम 1963, संविधियों का निर्वचन, प्रारूपण एवं विलेख प्रारूप। 4. भाषा – भाग क –सामान्य अंग्रेंजी, भाग ख –सामान्य हिन्दी नोट– प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। साक्षात्कार–लिखित परीक्षा के बाद आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है जिसके अंक लिखित परीक्षा के प्राप्ताकों में जोडकर मेरिट सूची तैयार की जाती है। संलग्न – 1	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न 2 प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा ली जाती है । 1. अंग्रेजी से हिंदी या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य भाषा में अनुवाद 2. हिंदी या अन्य किसी विशिष्ट भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद साक्षात्कार–लिखित परीक्षा के बाद आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है जिसके अंक लिखित परीक्षा के प्राप्ताकों में जोडकर मेरिट सूची तैयार की जाती है । संलग्न – 2
कर्तव्य (Duties)	1. विधायी प्रारूपण संम्बधी कार्य यथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उपनियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन के प्रारूप बनाना । 2. विधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श संबंधित कार्य । 3. नोटिस, याचिका, दावे एवं जबाब दावें इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श। 4. अपीलीय मामलों एवं निर्णयों का परीक्षण एवं परामर्श 5. विभागीय अन्य विशिष्ट विधिक कार्य।	**Work of Law (Vidhi Rachana) Department under the Rules of Business** 1. Preparation and publication of authorized or revised texts in Hindi of Rajasthan Laws originally made in English or, as the case may be, in Hindi. 2. Preparation and publication of authorized or revised texts in

10/5/2018

	विधि सेवा	विधि रचना सेवा
	6. उक्त कार्यो के अतिरिक्त व्यवहारिक तौर पर विधि अधिकारीगण जिस विभाग में कार्यरत/पदस्थ होते हैं, उन्हें उस विभाग के भी समस्त अधिनियमों, नियमों व परिपत्रों आदि की जानकारी व ज्ञान रखना भी अनिवार्य हो जाता है, जो कि किसी भी भत्ते के अभाव में उक्त ज्ञान/जानकारी अधिकारीगण को स्वयं के खर्चे पर पुस्तकें क्रय करके प्राप्त करनी पड़ती है। विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.04.1983 की प्रति संलग्न – 3 है।	Hindi of such rules made by the Governor under the proviso to article 309 of the Constitution as are originally made in English or, as the case may be, in Hindi. 3. Preparation of Hindi translation of such reports and notifications, orders, etc. of a non-statutory nature as are originally prepared or made in English. 4. Drafting of Laws in Hindi. 5. Such work relating to opinion litigation, etc. as is assigned from time to time by the standing orders. संलग्न – 4

वेतनमान

विधि सेवा: वर्ष	पद	वेतनमान	विधि रचना सेवा: वर्ष	पद	वेतनमान
वर्ष 1983 में पुनरीक्षित	कनिष्ठ विधि अधिकारी	660–1240	वर्ष 1983 में पुनरीक्षित	विधि रचनाकार	660–1240
	वरिष्ठ विधि अधिकारी	820–1550		वरिष्ठ विधि रचनाकार	820–1550
	सहायक विधि परामर्शी	1210–2040		विधि रचना अधिकारी	1210–2040
	उप विधि परामर्शी	1750–2500		उप सचिव	1750–2500
वर्ष 1987 में पुनरीक्षित	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1200–2420	वर्ष 1987 में पुनरीक्षित	विधि रचनाकार	1200–2420
	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1490–3050		वरिष्ठ विधि रचनाकार	1490–3050
	सहायक विधि परामर्शी	2100–3550		विधि रचना अधिकारी	2100–3550

5 वें वेतन आयोग से पहले तक दोनो सेवाओं के वेतनमान पूर्णत समान थे

19/5/2018

		उप विधि परामर्शी	2750–4700				
	वर्ष 1989 में पुनरीक्षित	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1400–2600	(स्केल – 12)			
		वरिष्ठ विधि अधिकारी	2000–3200	(स्केल – 14)			
		सहायक विधि परामर्शी	2500–4250	(स्केल – 17)			
		उप विधि परामर्शी	3450–5000	(स्केल – 22)			
		संयुक्त विधि परामर्शी	4100–5300	(स्केल – 24)			
	वर्ष 1998 में पुनरीक्षित (5वां वेतनमान)	कनिष्ठ विधि अधिकारी	5000–8000				
		वरिष्ठ विधि अधिकारी	6500–10500				
		सहायक विधि परामर्शी	9000–14400				
		उप विधि परामर्शी	11300–16200				
		संयुक्त विधि परामर्शी	13500–17500				
	वर्ष 2008 में पुनरीक्षित (6वां वेतनमान)	कनिष्ठ विधि अधिकारी	PB-2	9300-34800	GP No.- 12	GP 3600	
		वरिष्ठ विधि अधिकारी	PB-2	9300-34800	GP No.- 14	GP 4800	
		सहायक विधि परामर्शी	PB-3	15600-39100	GP No.- 16	GP 6000	
		उप विधि परामर्शी	PB-3	15600-39100	GP No.- 19	GP 7200	
		संयुक्त विधि परामर्शी	PB-3	15600-39100	GP No.- 21	GP 8200	
		वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	PB-4	37400-67000	GP No.- 22	GP 8700	

		उप सचिव	2750–4700				
	वर्ष 1989 में पुनरीक्षित	विधि रचनाकार	1400–2600	(स्केल – 12)			
		वरिष्ठ विधि रचनाकार	2000–3200	(स्केल – 14)			
		विधि रचना अधिकारी	2500–4250	(स्केल – 17)			
		उप सचिव	3450–5000	(स्केल – 22)			
	वर्ष 1998 में पुनरीक्षित (5वां वेतनमान)	विधि रचनाकार	5500–9000				
		वरिष्ठ विधि रचनाकार	6500–10500				
		विधि रचना अधिकारी	10000–15200				
		उप सचिव	12000–16500				
	वर्ष 2008 में पुनरीक्षित (6वां वेतनमान)	विधि रचनाकार	PB-2	9300-34800	GP No. - 13	GP 4200	
		वरिष्ठ विधि रचनाकार	PB-2	9300-34800	GP No. - 14	GP 4800	
		विधि रचना अधिकारी	PB-3	15600-39100	GP No. - 17	GP 6600	
		उप सचिव	PB-3	15600-39100	GP No. - 20	GP 7600	
		वरिष्ठ उप सचिव	PB-4	37400-67000	GP No. - 22	GP 8700	

क्लॉज केडर	राज0 विधि सेवा एवं राज0 विधि रचना सेवा, दोनों के सेवा नियम 1981 में बने है और दोनों सेवा नियमों के सम्पूर्ण प्रावधान एक समान हैं। दोनों नियमों में कही पर भी यह उल्लेखित नहीं है कि यह क्लॉज केडर है या ओपन केडर है। मात्र इंस कारण से कि विधि रचना सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन सचिवालय के बाहर नहीं होता है, यह नहीं माना जा सकता कि यह क्लॉज केडर है क्योंकि क्लॉज केडर में समान पद होते

10/5/2018

		हुए भी क्लॉज केडर के कर्मचारी/अधिकारी का सचिवालय के बाहर पदस्थापन प्रतिबन्धित होता है जैसा कि सचिवालय की मंत्रालयिक सेवा में है। मंत्रालयिक सेवा के समान पद सचिवालय के बाहर होते हुए भी उनका पदस्थापन ऐसे पदों पर नहीं होता है, जबकि विधि रचना सेवा एवं विधि सेवा में न तो ऐसा प्रतिबन्ध है और न ही ऐसा कोई वर्गीकरण है। इसलिए केडर के मामले में दोनों सेवाऐं एक समान है।
पदोन्नति की स्थिति	कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के पद से प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) के पद पर होती है। वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद राज्य सेवा का पद है। वर्तमान में सहायक विधि परामर्शी (ALR) के पद पर कार्यरत मार्च, 1994 के बैच के अधिकांश अधिकारियों की वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) के पद पर प्रथम पदोन्नति लगभग 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर हुई है। वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) से सहायक विधि परामर्शी (ALR) के पद पर पदोन्नति में भी अत्यधिक समय लगा है। इस प्रकार राजस्थान विधि सेवा के सदस्यों का अधिकांश सेवाकाल आरम्भिक दोनों पदों अर्थात कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) के पदों पर ही पूरा हो जाता है और इससे उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु आयु एवं सेवाकाल बहुत कम शेष रहता है, जिसके कारण अधिकांश अधिकारी, संयुक्त विधि परामर्शी (Jt.LR) एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (Sr.Jt.LR) के पदों पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत हो जाते हैं। कुछ अधिकारी उप विधि परामर्शी (DLR) के पद तक भी नहीं पहुंचते है और वह सहायक विधि परामर्शी (ALR) अथवा वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO) के पद से ही सेवानिवृत हो जाते हैं। सेवानिवृत अधिकारियों का विस्तृत विवरण नीचे उल्लेखित है।	विधि रचनाकार की प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ विधि रचनाकार के पद पर होती है। वरिष्ठ विधि रचनाकार का पद राज्य सेवा का पद है। विधि रचना सेवा का 1991 का पूरा बैच 7600 ग्रेड पे में जा चुका है और 1994 का आधा बैच 7600 ग्रेड पे में जा चुका है, जबकि विधि सेवा का 1990 का बैच भी अभी 7200 के ग्रेड पे में चल रहा है। विधि रचना के जून 1994 बैच के अधिकारियों के नियुक्ति आदेश, वरिष्ठता सूची संलग्न– 5, 6, 7 हैं। विधि सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची संलग्न – 8 है।

गत वर्षों में विधि सेवा के वरिष्ठतम पदों पर पहुंचने से पूर्व ही सेवानिवृत हुए अथवा निकट भविष्य में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृति दिनांक
1.	धूरेन्द्र वशिष्ठ	वरिष्ठ विधि अधिकारी	वर्ष 2007–08
2.	लतीफ अहमद	सहायक विधि परामर्शी	मार्च, 2011
3.	बलवीर सिंह	वरिष्ठ विधि अधिकारी	मार्च, 2012
4.	राजेन्द्र प्रसाद महला	सहायक विधि परामर्शी	जुलाई, 2012

10/5/2018

5.	वीरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक विधि परामर्शी	सितम्बर, 2012
6.	ललित कुमार चड्ढा	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2012
7.	सुभाष चन्द्र बत्रा	सहायक विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2012
8.	सुरेश कुम्मज	वरिष्ठ विधि अधिकारी	जून, 2013
9.	रविन्द्र कुमार अरोड़ा	सहायक विधि परामर्शी	जुलाई, 2013
10.	धीरेन्द्र गोयल	सहायक विधि परामर्शी	अक्टूबर, 2013
11.	इब्राहिम खां	सहायक विधि परामर्शी	मार्च, 2014
12.	सुश्री अजब बानो	उप विधि परामर्शी	अप्रैल, 2014
13.	मुखराम मील	उप विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2014
14.	राजेन्द्र कुमार शर्मा	उप विधि परामर्शी	सितम्बर, 2015
15.	हरिराम गुप्ता	उप विधि परामर्शी	2015
16.	महेन्द्र कुमार बालोदिया	उप विधि परामर्शी	2015
17.	सूरजमल मेहता	उप विधि परामर्शी	2015
18.	राजेन्द्र कुमार रावत	उप विधि परामर्शी	2015
19.	सिद्धार्थ चारण	उप विधि परामर्शी	2015
20.	रामेश्वर प्रसाद सांखला	सहायक विधि परामर्शी	2015
21.	मदन लाल शर्मा	सहायक विधि परामर्शी	2015
22.	शिवदत्त ओझा	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2015
23.	वैजन्ती माला	उप विधि परामर्शी	जनवरी, 2016
24.	भगवान सहाय कुमावत	सहायक विधि परामर्शी	मई, 2016
25.	नेमीचन्द भादाणी	उप विधि परामर्शी	जुलाई, 2016
26.	मनोहर लाल	सहायक विधि परामर्शी	नवम्बर, 2016
27.	डा0 आशा गोयल	उप विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2016
28.	चमन प्रकाश सोनी	सहायक विधि परामर्शी	मई, 2017
29.	राम बाबू गुप्ता	उप विधि परामर्शी	मई, 2017
30.	पुरूषोतम लाल शर्मा	उप विधि परामर्शी	जून, 2017

10/5/2018

31.	रामधन लाल मीणा	उप विधि परामर्शी	जुलाई, 2017
32.	प्रभु सिंह	उप विधि परामर्शी	अगस्त, 2017
33.	राजेश मोहन माथुर	उप विधि परामर्शी	अगस्त, 2017
34.	बदनलाल	उप विधि परामर्शी	जनवरी, 2018
35.	राम किशन शर्मा	सहायक विधि परामर्शी	जुलाई, 2018 में सेवानिवृत होंगे।
36.	अब्दुल रहमान पंवार	उप विधि परामर्शी	अगस्त, 2018 में सेवानिवृत होंगे।
37.	विनोद कुमार शर्मा	उप विधि परामर्शी	अक्टूम्बर, 2018 में सेवानिवृत होंगे।
38.	ब्रजबिहारी शर्मा	उप विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2018 में सेवानिवृत होंगे।

नोट – वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों की विधि विभाग द्वारा जारी सूची संलग्न – 9, 10, 11 हैं।

विधि अधिकारियों की पदोन्नति में लगने वाले अधिक समय के कारण अधिकांश अधिकारीगण वरिष्ठतम पदों पर पहुंचे बिना ही सेवानिवृत हो जाते हैं। उक्त स्थिति को देखते हुए विधि सेवा के अधिकारियों के वेतनमान में 5वें एवं 6वें वेतन आयोग के पश्चात स्वीकृत वेतनमान के कारण उत्पन्न हुई विसंगति को सुधारने के साथ ही 7वें वेतन आयोग में राज्य की समकक्ष सेवाओ, विधि विभाग की ही दूसरी सेवा (विधि रचना सेवा) एवं केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों को दिये गये वेतनमान के समकक्ष लाने के लिए राज्य की विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार संशोधित किया जाना वांछनीय है –

पद	वर्तमान वेतनमान जो कि सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया	निर्धारित वर्तमान वेतनमान की विसंगति दूर कर वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा निर्धारित किये जाने योग्य वेतनमान
कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 3600) L-10	**9300–34800 (4200/– ग्रेड पे) L-11**
वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 4800) L-12	**15600–39100 (5400/– ग्रेड पे) L-14**
सहायक विधि परामर्शी (ALR)	15600–39100 (ग्रेड पे 6000) L-15	**15600–39100 (6600/– ग्रेड पे) L-16**
उप विधि परामर्शी (DLR)	15600–39100 (ग्रेड पे 7200) L-18	**15600–39100 (7600/– ग्रेड पे) L-19**
संयुक्त विधि परामर्शी (Jt. LR)	15600–39100 (ग्रेड पे 8200) L-20	**37400–67000 (8700/– ग्रेड पे) L-21**
व0 संयुक्त विधि परामर्शी (Sr. Jt.LR)	37400–67000 (ग्रेड पे 8700) L-21	**37400–67000 (9500/– ग्रेड पे) L-23**

10/5/2018

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि राजस्थान राज्य के विधि अधिकारियों की निर्धारित योग्यता, जटिल चयन प्रक्रिया, उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की अति महत्वपूर्ण प्रकृति एवं **प्रशासनिक विभाग (विधि विभाग) द्वारा की गई अनुशंसा एवं विधि रचना सेवा के तुलनात्मक विवरण** को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य के विधि सेवा अधिकारियों के लिए 7वें वेतन आयोग में निर्धारित किये गये Pay-lable की विसंगति को दूर करवाकर राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं, विधि विभाग की ही दूसरी सेवा (विधि रचना सेवा) अथवा केन्द्रीय विधि सेवा के लिए 7वें वेतन आयोग में निर्धारित किये गये उक्तानुसार Pay-lable के समान वेतनमान एवं पूर्व में प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में उल्लेखित भत्तों को स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

14/5/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 70143–47174

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/49

दिनांक : 21.5.2018

189634/PLS/18
21.05.18

सेवामें,

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

OSD
21.5.18

विषय :- राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण का पहचान पत्र (Identity Card) बनवाने बाबत् !

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में राजस्थान विधि सेवा के लगभग 310 अधिकारीगण वर्तमान में पदस्थापित हैं। चूंकि विधि सेवा के अधिकारीगण विभिन्न विभागों में विधि विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाऐं देते हैं एवं विभाग में उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती इसलिए सामान्यतः सम्बन्धित विभाग द्वारा उनका पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है। विधि सेवा के अधिकारियों के कार्य की प्रकृति के अनुसार अक्सर उन्हें विभिन्न न्यायालयों एवं अन्य कार्यालयों में जाना पड़ता है और अधिकृत परिचय पत्र के अभाव में उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान विधि सेवा का पैत्रिक विभाग विधि विभाग है एवं समस्त अधिकारीगण विधि विभाग के प्रतिनिधि के रूप में ही अन्य विभागों में पदस्थापित रहते हैं।

यह नितान्त आवश्यक है कि विधि सेवा के पैत्रिक विभाग द्वारा विधि सेवा के समस्त अधिकारीगण का परिचय पत्र बनाया जावे जिससे कि वह परिचय पत्र के अभाव में आ रही कठिनाईयों से निजात पा सकें। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं लेखा सेवा के अधिकारीगण के इस प्रकार के परिचय पत्र जारी किये हुए हैं। अभी तक विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा विधि अधिकारीगण के इस प्रकार के परिचय पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

अतः निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा के समस्त अधिकारीगण की पहचान सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्यों का अधिकृत परिचय पत्र विधि एवं विधिक कार्य विभाग के स्तर से जारी करवाने की कृपा करें। कार्ड बनवाने का खर्चा परिषद द्वारा वहन कर लिया जावेगा।

सादर।

21/5/2018
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

सेवामें,

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण का पहचान पत्र (Identity Card) बनवाने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में राजस्थान विधि सेवा के लगभग 310 अधिकारीगण वर्तमान में पदस्थापित हैं। चूंकि विधि सेवा के अधिकारीगण विभिन्न विभागों में विधि विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाऐं देते हैं एवं विभाग में उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती इसलिए सामान्यतः सम्बन्धित विभाग द्वारा उनका पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है। विधि सेवा के अधिकारियों के कार्य की प्रकृति के अनुसार अक्सर उन्हें विभिन्न न्यायालयों एवं अन्य कार्यालयों में जाना पड़ता है और अधिकृत परिचय पत्र के अभाव में उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान विधि सेवा का पैत्रिक विभाग विधि विभाग है एवं समस्त अधिकारीगण विधि विभाग के प्रतिनिधि के रूप में ही अन्य विभागों में पदस्थापित रहते हैं।

यह नितान्त आवश्यक है कि विधि सेवा के पैत्रिक विभाग द्वारा विधि सेवा के समस्त अधिकारीगण का परिचय पत्र बनाया जावे जिससे कि वह परिचय पत्र के अभाव में आ रही कठिनाईयों से निजात पा सकें। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं लेखा सेवा के अधिकारीगण के इस प्रकार के परिचय पत्र जारी किये हुए हैं। अभी तक विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा विधि अधिकारीगण के इस प्रकार के परिचय पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

अतः निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा के समस्त अधिकारीगण की पहचान सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्यों का अधिकृत परिचय पत्र विधि एवं विधिक कार्य विभाग के स्तर से जारी करवाने की कृपा करें।

21/5/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

49/21.5.2018

9c

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 50

दिनांक : 24.5.2018

सेवा में

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विधि सेवा परिषद् की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में विधि सेवा परिषद् के प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमन्त्रित करने बाबत्।

संदर्भ :– कार्मिक (क– 5) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 14 (17) का/क–5/2017 दिनांक 22.05.2018 एवं राज0 विधि सेवा परिषद् का पत्र क्रमांक 41 दिनांक 23.04.2018

महोदय

विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया के निर्देशों की पालना में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.03.2018 में समस्त प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपने–अपने विभागों के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र यथा न्यायोचित समाधान निकालने के लिए विभागीय स्तर पर कार्मिक समूहों/कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से सुरावांद व बैठकें आयोजित कर समस्याओं का यथासम्भव निराकरण कर कार्मिक विभाग को दिनांक 05.04.2018 तक अवगत करावें।

कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 05.04.2018, 12.0.4.2018 एवं 11.05.2018 को परिपत्र जारी कर उक्त कार्यवाही/निर्णय से दिनांक 25.05.2018 तक अवगत कराने का निवेदन किया गया था। अब पुनः दिनांक 22.05.2018 को परिपत्र जारी कर यह बताया है कि अधिकांश प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्रों के अनुसरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अति गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 31.05.2018 तक उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्रों के संदर्भ में विधि सेवा परिषद् द्वारा भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु पत्र दिनांक 23.04.2018 के द्वारा निवेदन किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभी तक संघ को सुनवाई हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।

24/5/2018

अतः संघ द्वारा पूर्व में प्रस्तुत पत्र दिनांक 23.04.2018 की छाया प्रति पुनः संलग्न प्रस्तुत कर निवेदन है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.05.2018 के संदर्भ में संघ के पदाधिकारियों से शीघ्र वार्ता कर समस्याओं का उचित समाधान निकालकर विधि विभाग के निर्णय से समयान्तर्गत (दि. 28.05.2018 तक) कार्मिक विभाग को अवगत कराने की कृपा करें।

सादर।

संलग्न :–

संघ का पूर्व पत्र दिनांक 23.04.2018

का0 वि0 का परिपत्र दिनांक 22.05.2018

24/5/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0 न0 7014347174

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः– कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. 51

दिनांक : 25.5.18

सेवा में,

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– विधि सेवा परिषद् की सुनवाई कर विभागीय अनुशंषा भेजे जाने बाबत्।

संदर्भ :– कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक प0 14(17)का/क–5/2017, दिनांक 23.03.2018 एवं मुख्य सचिव, महोदय के परिपत्र दिनांक 12.04.2018 एवं 22.05.2018 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों के क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग के आदेश क्रमांक प0 22 (1) न्याय/15 जयपुर, दिनांक 22.05.2018 के जरिये गठित समिति के द्वारा राज0 विधि सेवा परिषद् के पदाधिकारीगण की व्यक्तिगत सुनवाई, दिनांक 25.05.2018 को की जा चुकी है। संदर्भित परिपत्रों में सम्बन्धित विभाग द्वारा सेवा संगठनों की सुनवाई उपरान्त, वेतन विसंगति सम्बन्धी मामलें श्री डी0सी0 सावंत समिति को भेजे जाने हैं। राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष, वेतन विसंगति निवारण समिति को प्रदत्त ज्ञापन पर, उक्त समिति द्वारा दिनांक 03.04.2018 को, विधि सेवा परिषद् की व्यक्तिगत सुनवाई की जा चुकी है।

अतः राज0 विधि सेवा परिषद् द्वारा वेतन विसंगति निवारण समिति को प्रदत्त ज्ञापन दिनांक 23.11.2017 की प्रति संलग्न कर निवेदन है, कि विधि सेवा परिषद् द्वारा वेतन विसंगति समिति से मांगे गये वेतनमान की विभागीय अनुशंषा, उक्त समिति को भिजवाकर परिषद् को अनुग्रहित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
मो0 :– 94613–02549

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/53 दिनांकः 29.05.2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान इन्द्र प्रकाश जैन, संयुक्त विधि परामर्शी, अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.05.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

श्री जैन के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दोपहर 1.00 से 2.30 बजे मीटिंग हॉल, आबकारी विभाग, आबकारी भवन, उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

उदयपुर में आयोजित उक्त समारोह में सम्मिलित होकर अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु विधि सेवा परिषद् द्वारा गठित "विदाई समारोह कार्यवाही समिति" के सदस्यों को निर्देश दे दिये गये हैं।

सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

29/5/18

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(8)न्याय/17 पार्ट जयपुर, दिनांक 30.5.18

सदस्य सचिव
श्री डी.सी. सामन्त कमेटी
वित्त भवन, जयपुर।

विषयः–विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में विधि सेवा परिषद की सुनवाई कर विभागीय अनुशंसा भेजे जाने बाबत्।

संदर्भः–कार्मिक (क–5) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.14(17)कार्मिक/क–5/2017 पार्ट दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.2018 के क्रम में विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2018 को अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद ने विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने हेतु अभ्यावेदन की प्रति दिनांक 23.11.2017 के क्रम में दिनांक 25.05.2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विभागीय अनुशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ भिजवाने हेतु पुनः निवेदन किया है।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उक्त समिति के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। अतः विधि विभाग की अभिशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

भवदीय

30.5.18

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx

मुख्य मंत्री कार्यालय
राजस्थान सरकार

पत्रांक ओएसडी–जी/मु.मं./14769
जयपुर, दिनांक : 13 जून, 2018

प्रिय श्री सिंह जी,

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के तत्वावधान में परिषद् की नव सृजित वेबसाईट के लोकार्पण एवं परिषद् के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह शासन सचिवालय, जयपुर के कान्फ्रेन्स हॉल में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

इस अवसर पर आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदया को आमंत्रित किया है। इसके लिए धन्यवाद। माननीया पूर्व निर्धारित आवश्यक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने से उक्त कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकेंगी। आमंत्रण के लिए पुनः धन्यवाद।

शुभकामानाओं सहित।

सद्भावी,

13/6/18

(डॉ. भागचन्द बधाल)
संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री

श्री जितेन्द्र सिंह,
अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद्, कमरा नं. 1007,
मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 54

दिनांक : 19.6.2018

अध्यक्ष,
राजस्थान एसोशिएशन ऑफ स्टेट सर्विस ऑफिसर्स,
(RASSO) जयपुर।

विषय :–पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट प्रदान करने के संबंध में।

सन्दर्भः–मुख्य सचिव महोदय द्वारा RASSO के प्रतिनिधि मण्डल को दिये आश्वासन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय द्वारा RASSO प्रतिनिधि मण्डल को दिये गये आश्वासन के संबंध में राजस्थान विधि सेवा के बारे में निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा में संयुक्त विधि परामर्शी के कुल 29 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत कुल 17 अधिकारीगण में से दिनांक 01 अप्रेल, 2018 को चार अधिकारी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु योग्य हैं अर्थात चार अधिकारियों के वरिष्ठ पद पर पदोन्नत होने के पश्चात संयुंक्त विधि परामर्शी के कुल 13 अधिकारी ही कार्यरत रहते हैं। इस प्रकार दिनांक 01 अप्रेल, 2018 को संयुक्त विधि परामर्शी के कुल स्वीकृत 29 पदों में से 16 पद रिक्त रहते हैं।

संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान विधि सेवा नियम, 1981 में उप विधि परामर्शी पद का 3 वर्ष का अनुभव तथा 18 वर्ष की कुल सेवा होना अनिवार्य है। पूर्व में विलम्ब से पदोन्नति होने के कारण 26 वर्ष की कुल सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों में से मात्र 4 अधिकारी ही उप विधि परामर्शी के पद का 3 वर्ष का अनुभव पूर्ण कर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं, जबकि 01 अप्रेल, 2018 को संयुक्त विधि परामर्शी के 55 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं।

19.6.2018

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधि सेवा में वर्तमान में **संयुक्त विधि परामर्शी के पद से निम्नतर समस्त पदों पर, पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव पूर्ण करने वाले अधिकारीगण की संख्या पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों से लगभग दो गुनी है। अतः संयुक्त विधि परामर्शी पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में एक वर्ष का शिथिलन दिया जाना सेवा के हित में नितान्त आवश्यक है।**

संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यानुभव में एक वर्ष का (एक तिहाई) शिथिलन प्रदान करने हेतु पत्रावली हाल ही में विधि विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा कार्मिक विभाग को भिजवायी गई थी, परन्तु कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन देने से इन्कार कर दिया गया है। **पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट चाहने वाले उक्त समस्त अधिकारीगण 1992 बैच के हैं एवं 26 वर्ष की विधि सेवा पूर्ण कर चुके हैं।**

अतः निवेदन है कि RASSO प्रतिनिधि मण्डल को मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये आश्वासन के क्रम में, राजस्थान विधि सेवा से संबंधित उपरोक्त मामले में, पदोन्नति हेतु अनुभव में एक वर्ष का शिथिलन प्रदान करने बाबत्, यह प्रकरण शासन सचिव, कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सादर।

19.6.2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष, राज0 विधि सेवा परिषद
एवं विधि सचिव, RASSO

O/C

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/55 दिनांकः 27.06.2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान रामकिशन शर्मा, उप विधि परामर्शी, अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए, दिनांक 30.06.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

श्री शर्मा के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 30.06.2018 को दोपहर 11.00 से 2.00 बजे तक होटल कोन्टीनेन्टल ब्ल्यू, बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परिषद् की विदाई समारोह समिति के पदाधिकारीगण द्वारा श्री शर्मा को सम्मानित किया जायेगा।

अतः उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

27/6/2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

दिनांक : 29.6.18

क्रमांक : राज.वि.से.प/57

श्रीमान,

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय :– राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में संशोधन करने के संबंध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा का गठन वर्ष 1981 में हुआ था। अपने गठन के समय से ही राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण राजकीय वादकरण तथा अन्य विधिक मामलों का पूरी निष्ठा से सफलतापूर्वक निष्पादन कर रहे हैं।

वर्तमान में विधि सेवा नियमों के तहत पदोन्नति हेतु अनुभव की अवधि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पदोन्नति पद	अनुभव
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी	5 वर्ष
3.	सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी	3 वर्ष
4.	उप विधि परामर्शी से संयुक्त विधि परामर्शी	3 वर्ष का उप विधि परामर्शी के पद का अनुभव एवं 18 वर्ष की कुल सेवा
5.	संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	25 वर्ष की राज्य सेवा

O/C

विधि सेवा में प्रविष्टि हेतु निर्धारित योग्यता विधि स्नातक होने के कारण सामान्यतः 30 से 32 वर्ष की आयु में ही सेवा में प्रवेश हो पाता है और सेवा में आने के पश्चात पदोन्नति में भी अत्यधिक समय लगता है। उदाहरण के लिये राजस्थान विधि सेवा में वर्ष 1994 एवं 1996 में सेवा में आये अधिकांश अधिकारीगण की पहली पदोन्नति में लगभग 15 से 18 वर्ष का समय लगा है। इसी प्रकार द्वितीय पदोन्नति में भी अतिरिक्त समय लगता है।

विधि सेवा में प्रवेश का पद कनिष्ठ विधि अधिकारी का है, जो कि अधीनस्थ सेवा का पद है। कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद से प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर होती है, जो कि राज्य सेवा का पद है। विधि सेवा में वर्तमान में सहायक विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पदों पर पदासीन अधिकांश अधिकारियों की प्रथम पदोन्नति लगभग 15 से 18 वर्ष में हुई है। उक्त अधिकांश अधिकारी लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही राज्य सेवा में प्रविष्टि पा सके हैं। इस परिस्थिति में विधि सेवा के अधिकांश अधिकारीगण लगभग 15 से 20 वर्ष की ही राज्य सेवा कर सकेंगे।

चूंकि वर्तमान में संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 25 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण होना आवश्यक है, जो कि अधिकांश अधिकारीगण सेवानिवृत्ति तक भी पूर्ण नहीं कर सकते। 25 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने की शर्त पूरी नहीं होने के कारण अधिकांश अधिकारी उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित हैं एवं इसी कारण वर्तमान में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 11 पदों में से मात्र 6 ही भरे हुए हैं।

उक्त तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा के सदस्यों का अधिकांश सेवाकाल आरम्भिक दोनों पदों पर अर्थात कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी के पदों पर ही पूरा हो जाता है और इससे उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु आयु एवं सेवाकाल बहुत कम शेष रहता है जिसके कारण अधिकांश अधिकारी संयुक्त विधि परामर्शी एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत हो जाते हैं।

राज्य सरकार की अधिकांश सेवाओं में उच्चतर पदों पर अनुभव की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा कुछ पदों पर पदोन्नति हेतु कोई न्यूनतम अनुभव अपेक्षित ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि विधि सेवा के कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी से लेकर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पद के समस्त अधिकारियों पर एक ही सेवा नियम [राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981] लागू होते हैं और कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर ही सीधी भर्ती होती है तथा अन्य सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं।

इस दृष्टि से विधि सेवा की तुलना राजस्थान सचिवालय सेवा से की जा सकती है, जिसमें कनिष्ठतम पद पर नियुक्ति के पश्चात अन्य सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं। सचिवालय सेवा नियमों में वरिष्ठतम पद वरिष्ठ शासन उप सचिव का है, जिसकी पदोन्नति हेतु कुल सेवा का 30 वर्ष का अनुभव निर्धारित है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति को देखते हुए विधि सेवा में वरिष्ठतम पद पर पदोन्नति हेतु राज्य सेवा में 25 वर्ष के स्थान पर कुल सेवा का 30 वर्ष का अनुभव निर्धारित करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त संशोधन हेतु प्रस्तावित प्रारूप निम्नवत है :–

क्र.सं.	पदोन्नति पद	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष	यथावत
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी	5 वर्ष	यथावत
3.	सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी	3 वर्ष	यथावत
4.	उप विधि परामर्शी से संयुक्त विधि परामर्शी	3 वर्ष का उप विधि परामर्शी के पद का अनुभव एवं 18 वर्ष की कुल सेवा	यथावत
5.	संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	25 वर्ष की राज्य सेवा	30 वर्ष की कुल सेवा अवधि

अतः विनम्र निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में उपरोक्तानुसार संशोधन करवाने की कृपा करें। राजस्थान विधि सेवा परिषद आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर ।

भवदीय

28/6/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 59

दिनांक : 02.07.2018

श्री सुरेश अग्रवाल,
वरिष्ठ विधि अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
एवं पूर्व अध्यक्ष,राज0 विधि सेवा परिषद्,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष पद के कार्यकाल में वित्तीय लेन–देन का हिसाब प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि आपने माह जुलाई 2015 से माह जुलाई, 2017 की अवधि में विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष का पद धारण किया था। उक्त अवधि में वित्तीय लेन–देन का हिसाब प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रूप से आपसे निवेदन किया गया परन्तु आज दिनांक तक हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है। अतः पुनः निवेदन है कि परिषद् के हित में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करावें –

1. जब आपने अध्यक्ष का पद धारण किया था तब विधि सेवा परिषद् के कोष में कितनी राशि उपलब्ध थी।
2. आपके कार्यकाल में कितनी रसीदें काटी गई और कितनी राशि नकद प्राप्त हुई तथा कितनी राशि परिषद् के बैंक खाते मे जमा हुई।
3. विधि सेवा परिषद् की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. के लिए कितनी राशि एकत्रित की गई और उसमें से कितनी राशि किस–किस मद में खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष बची।

अतः कृपया अपने कार्यकाल के दौरान राजस्थान विधि सेवा परिषद् के सम्पूर्ण आय–व्यय का ब्यौरा एक सप्ताह में उपलब्ध करावें, जिससे कि परिषद् के आय–व्यय का अद्यतन विवरण अन्य सदस्यों की सूचनार्थ जारी किया जा सके।

02/7/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

02/07/18

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 60

दिनांक 04.07.2018

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :–संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन दिये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः–RASSO के प्रतिनिधि मण्डल को मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 13.6.2018 को दिये आश्वासन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता राजस्थान एसोशियेसन ऑफ स्टेट सर्विसेज ऑफिसर्स (RASSO) में विधि सचिव के पद पर हैं। विभिन्न राज्य सेवा संवर्गों में पदोन्नति में अनुभव की बाध्यता सीमा को हटाने के संबंध में RASSO के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय से मिलकर दिनांक 13.6.2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति में शिथिलन के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 11.6.2018 के नियमानुरूप न होने एवं संयुक्त विधि परामर्शी पद हेतु शिथिलन प्रदान करने बाबत विधि विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग द्वारा असहमति व्यक्त करने पर भी माननीय मुख्य सचिव महोदय से विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी थी।

माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिन सेवाओं में पदोन्नति में Stagnation की स्थिति बन रही है, उन विशेष मामलों में कार्मिक विभाग द्वारा अनुभव में शिथिलन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था एवं RASSO द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन शासन

04/7/2018

O/C

सचिव, कार्मिक विभाग को, इस टिप्पणी के साथ भेजा गया था कि RASSO द्वारा ऐसी सेवाओं की सूची शासन सचिव, कार्मिक विभाग को अलग से उपलब्ध करा दी जावे। उक्त क्रम में RASSO प्रतिनिधि मण्डल द्वारा कार्मिक विभाग को अलग से प्रेषित प्रतिवेदन पर कार्मिक विभाग द्वारा सकारात्मक रूख व्यक्त किया गया है।

चूंकि राजस्थान विधि सेवा में संयुक्त विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव प्राप्त उप विधि परामर्शी उपलब्ध नहीं हैं एवं उक्त पद पर पदोन्नति में Stagnation की स्थिति बन रही है, अतः संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन प्रदत्त करने बाबत पत्रावली कार्मिक विभाग को पुनः भिजवाने की कृपा करें।

सादर।

04/7/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष, राज0 विधि सेवा परिषद
एवं विधि सचिव, RASSO

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/61

दिनांक : 10-07-2018

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय,जयपुर।

विषयः– राज्य वादकरण नीति–2010 की अनुपालना में राज्य के विधि सेवा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य मंत्रिमण्डल से स्वीकृत राज्य वादकरण नीति–2010 की अनुपालना में राज्य वादकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं नियमित समीक्षा के लिये गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता में अभिवृद्धि के उद्देश्य से विधि सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना अपेक्षित है, लेकिन यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक तक कभी आयोजित नहीं किया गया है ।

विधि सेवा के कार्य की प्रकृति एवं विधिक प्रावधानों में होने वाले संशोधनों को देखते हुए विधि सेवा के सभी अधिकारियों को नवीनतम विधिक जानकारी से अवगत कराने तथा उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राज्य हित में बहुत ही आवश्यक है।

अतः विधि सेवा अधिकारियों के लिये नियमित अन्तराल से प्रत्येक वर्ष न्यायिक अकादमी, जोधपुर/ओ.टी.एस., जयपुर में सेमीनार एवं वर्कशाप आयोजित करवाकर प्रशिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करावें।

सादर ।

भवदीय,
10.7.2018
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद

O/C

दिनांक 31.03.2018 से 30.06.2018 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि का विवरणः–

22 सदस्यों का बकाया शुल्क =**NIL** अर्थात निम्नानुसार विवरण

(i) 15 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =800/–रूपये की राशि

15×800 = 12000/–रूपये की राशि

(ii) 6 सदस्यों द्वारा जमा की गयी =700/–रूपये की राशि

6×700 = 4200/–रूपये की राशि

(iii) 1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी = 700/–रूपये की राशि

1×700 = 700/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि

12000+4200 +700=16,900 /–रूपये

उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–

एक सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी= 700/–रूपये की राशि

1×700 = 700/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =700/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि

16,900–700= 16,200 /–रूपये

* उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।

07/12

(विजय कुमार जैन)

कोषाध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद्

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 31.03.2018 से दिनांक 30.06.2018 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक 30.06.2018 तक वर्ष 2017 एवं 2018 की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि :–	दिनांक 30.06.2018 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1. नकद प्राप्त राशि = 16200/–रूपये 2. Online SBI Bank A/C सचिवालय स्थित शाखा के A/C No.–51088903206 में कुल जमा राशि = 700/–रूपये * परिषद के बैंक खाता से चेक द्वारा दिनांक 25.06.18 को निकाली गयी राशि =20000/–रूपये * अर्थात उक्त कुल प्राप्त राशि प्रति सदस्य से दिनांक 30.06.2018 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार – कुल = 16,200+700/–रूपये = 16,900/–रूपये **संलग्न** :– दिनांक 30.06.2018 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 31.03.2018 से 30.06.18 तक कुल 2 सेवानिवृत समारोह जयपुर से बाहर उदयपुर एवं बीकानेर में आयोजित हुए अर्थात राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा उक्त समारोह में खर्च की गयी कुल राशि = 26,970/–रूपये 2. दिनांक 31.03.2018 से 30.06.18 तक राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवायी गयी बेबसाईट व संबंधित अन्य खर्चो को सम्मिलित करते हुए परिषद् द्वारा खर्च की गयी कुल राशि = 2750/–रूपये * अर्थात उक्त खर्चो की दिनांक 31.03.2018 से 30.06.18 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार कुल खर्चो की राशि कुल = 26970+2750/–रूपये = 29720/–रूपये संलग्नः–खर्चो से संबंधित दिनांक 31.03.2018 से 30.06.18 तक की लिस्ट

अतः उक्त नकद प्राप्त कुल राशि 16200(नकद प्राप्त राशि)+20,000 (बैंक से चेक द्वारा निकाली गयी राशि) =36200 /–रूपये में परिषद् के उपराक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 29720/–रूपये का समायोजित करके शेष राशि 36200–29720=6480/–रूपये परिषद् के एस.बी.आई बैंक,शासन सचिवालय स्थित शाखा के बचत खाता संख्या–51088903206 में जमा करवायी गयी।

नोटः– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय /कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/58 दिनांकः 30.06.2018

विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान रामकिशन शर्मा, उप विधि परामर्शी, को अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिये बहुत–बहुत बधाई।

राजस्थान विधि सेवा परिषद की विदाई समारोह समिति के सदस्यों का बहुत–बहुत धन्यवाद जिन्होंने लम्बी दूरी तय करके अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुये श्री शर्मा जी को सम्मानित किया है और बीकानेर में पदस्थापित विधि अधिकारियों का भी बहुत–बहुत आभार जिन्होंने सम्मान समारोह को सफल बनाने में विशेष योगदान प्रदान किया है।

विधि सेवा परिषद द्वारा विधि सेवा के हित में किये जा रहे कार्यों से संन्तुष्ट एवं उत्साहित होकर बीकानेर विधि सेवा संघ द्वारा, विधि सेवा परिषद को प्रदत्त अभिनन्दन पत्र के लिये, परिषद, बीकानेर विधि सेवा संघ, को धन्यवाद देते हुये उनका अभार प्रकट करती है और यह विश्वास दिलाना चाहती है कि परिषद भविष्य में भी विना किसी स्वार्थ के विधि सेवा के हितार्थ कार्य पूरी तन्मयता से करेगी।

30/6/2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 59

दिनांक : 02-07-2018

श्री सुरेश अग्रवाल,
वरिष्ठ विधि अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
एवं पूर्व अध्यक्ष,राज0 विधि सेवा परिषद्,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष पद के कार्यकाल में वित्तीय लेन–देन का हिसाब प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि आपने माह जुलाई 2015 से माह जुलाई, 2017 की अवधि में विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष का पद धारण किया था। उक्त अवधि में वित्तीय लेन–देन का हिसाब प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रूप से आपसे निवेदन किया गया परन्तु आज दिनांक तक हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है। अतः पुनः निवेदन है कि परिषद् के हित में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करावें –

1. जब आपने अध्यक्ष का पद धारण किया था तब विधि सेवा परिषद् के कोष में कितनी राशि उपलब्ध थी।
2. आपके कार्यकाल में कितनी रसीदें काटी गई और कितनी राशि नकद प्राप्त हुई तथा कितनी राशि परिषद् के बैंक खाते मे जमा हुई।
3. विधि सेवा परिषद् की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. के लिए कितनी राशि एकत्रित की गई और उसमें से कितनी राशि किस–किस मद में खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष बची।

अतः कृपया अपने कार्यकाल के दौरान राजस्थान विधि सेवा परिषद् के सम्पूर्ण आय–व्यय का ब्यौरा एक सप्ताह में उपलब्ध करावें, जिससे कि परिषद् के आय–व्यय का अद्यतन विवरण अन्य सदस्यों की सूचनार्थ जारी किया जा सके।

02/7/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

02/07/18

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 60

दिनांक : 04-07-2018

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :–संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन दिये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः–RASSO के प्रतिनिधि मण्डल को मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 13.6.2018 को दिये आश्वासन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता राजस्थान एसोशियेसन ऑफ स्टेट सर्विसेज ऑफिसर्स (RASSO) में विधि सचिव के पद पर हैं। विभिन्न राज्य सेवा संवर्गों में पदोन्नति में अनुभव की बाध्यता सीमा को हटाने के संबंध में RASSO के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय से मिलकर दिनांक 13.6.2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति में शिथिलन के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 11.6.2018 के नियमानुरूप न होने एवं संयुक्त विधि परामर्शी पद हेतु शिथिलन प्रदान करने बाबत विधि विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग द्वारा असहमति व्यक्त करने पर भी माननीय मुख्य सचिव महोदय से विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी थी।

माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिन सेवाओं में पदोन्नति में Stagnation की स्थिति बन रही है, उन विशेष मामलों में कार्मिक विभाग द्वारा अनुभव में शिथिलन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था एवं RASSO द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन शासन

04/7/2018

07

सचिव, कार्मिक विभाग को, इस टिप्पणी के साथ भेजा गया था कि RASSO द्वारा ऐसी सेवाओं की सूची शासन सचिव, कार्मिक विभाग को अलग से उपलब्ध करा दी जावे। उक्त कम में RASSO प्रतिनिधि मण्डल द्वारा कार्मिक विभाग को अलग से प्रेषित प्रतिवेदन पर कार्मिक विभाग द्वारा सकारात्मक रूख व्यक्त किया गया है।

चूंकि राजस्थान विधि सेवा में संयुक्त विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव प्राप्त उप विधि परामर्शी उपलब्ध नहीं हैं एवं उक्त पद पर पदोन्नति में Stagnation की स्थिति बन रही है, अतः संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन प्रदत्त करने बाबत पत्रावली कार्मिक विभाग को पुनः भिजवाने की कृपा करें।

सादर।

04/7/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष, राज0 विधि सेवा परिषद
एवं विधि सचिव, RASSO

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

दिनांक : 10-07-2018

क्रमांक : राज.वि.से.प/61

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय,जयपुर।

विषयः– राज्य वादकरण नीति–2010 की अनुपालना में राज्य के विधि सेवा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य मंत्रिमण्डल से स्वीकृत राज्य वादकरण नीति–2010 की अनुपालना में राज्य वादकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं नियमित समीक्षा के लिये गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता में अभिवृद्धि के उद्देश्य से विधि सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना अपेक्षित है, लेकिन यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक तक कभी आयोजित नहीं किया गया है ।

विधि सेवा के कार्य की प्रकृति एवं विधिक प्रावधानों में होने वाले संशोधनों को देखते हुए विधि सेवा के सभी अधिकारियों को नवीनतम विधिक जानकारी से अवगत कराने तथा उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राज्य हित में बहुत ही आवश्यक है।

अतः विधि सेवा अधिकारियों के लिये नियमित अन्तराल से प्रत्येक वर्ष न्यायिक अकादमी, जोधपुर/ओ.टी.एस., जयपुर में सेमीनार एवं वर्कशाप आयोजित करवाकर प्रशिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करावें।

सादर ।

भवदीय,
10.7.2018
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद

O/C

1/ **श्री जितेन्द्र सिंह,** दिनांक : 11. 7. 18
सहायक विधि परामर्शी एवं अध्यक्ष,
राजस्थान, विधि सेवा परिषद्।

2. **श्री विजय कुमार जैन,**
सहायक विधि परामर्शी एवं कोषाध्यक्ष,
राजस्थान, विधि सेवा परिषद्।

विषयः– विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष पद के कार्यकाल में वित्तीय लेन–देन का हिसाब प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः– राजस्थान विधि सेवा परिषद का पत्रांक 59 दिनांक 02.07.2018।

महोदय,

विषयान्तर्गत आप दोनों द्वारा प्रस्तुत पत्र का जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रारंम्भिक आपत्तियांः

1. यह कि अभी तक अध्यक्ष, राज0 विधि सेवा परिषद एवं उनके द्वारा गठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण की सूचना ना तो प्राप्त हुई है ना ही प्रकाशित, ना ही सार्वजनिक रूप से निर्वाचन पश्चात शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। जब तक कि पद से सम्बन्धित निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली जाए, बिन शपथ आपको कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

अतः प्रारम्भिक तौर पर ही प्रेषित पत्र व चाही गई जानकारी पेशरफ्त (चलने योग्य) नहीं है।

जवाब

प्रारम्भिक आपत्ति के साथ जवाब निम्न है।

1. आप द्वारा जिन तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में मुझसे जवाब चाहा जा रहा है वह समयावधि से परे है क्यूंकि विगत वर्ष जुलाई 2017 में मेरे द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा एवं वर्तमान कोषाध्यक्ष एवं तत्समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वस्तर पर आपको निर्वाचित घोषित किये जाने एवं तत्पश्चात् आपकी मांग पर ही सम्पूर्ण रिकॉर्ड जिसमें कि एसएलपी के समस्त दस्तावेज एवं खर्चे सहित सारी रसीद बुक एवं कोष की सूचना से सम्बन्धित समस्त लेखा–जोखा मौजूद था, आपको अगस्त माह में ही व्यक्तिशः मेरे द्वारा सुपुर्द किया जा चुका था, अब लगभग एक वर्ष पश्चात बिना रिकॉर्ड व दस्तावेजात का

क्रमशः

अवलोकन किये जवाब मांगा जाना न केवल हास्यास्पद है बरन निश्चित तौर पर किसी पूर्वाग्रह से भी गृसित प्रतीत होता है।

उजरात मजीद

1. यह कि किसी प्रकार के आय–व्यय का ब्यौरा किसी भी पदाधिकारी द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान साधारण सभा में प्रस्तुत करना होता है जो कि मेरे द्वारा किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एसएलपी के लिए एकत्र की गई राशि एवं खर्चे का विवरण एसएलपी के निस्तारण के तुरन्त पश्चात **आमसभा आयोजित कर** उपस्थित सदस्यों के समय तत्समय प्रस्तुत किया जा चुका था एवं तत्समय किसी भी माननीय सदस्य द्वारा इस पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि इसी **आमसभा** में एसएलपी खारिजी के विरूद्ध रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, उस पर भी तत्परता से कार्यवाही की गई।
2. यह कि यह तथ्य आप दोनों के बखूबी संज्ञान में है कि ना केवल आय–व्यय के ब्यौरे से सम्बन्धित वरन समस्त एसएलपी व निर्वाचन से सम्बन्धित अर्थात विधि सेवा परिषद से सम्बन्धित कागजात, रसीदात, दस्तावेज इत्यादि निर्वाचन के तुरन्त पश्चात आपके द्वारा मांगे जाने पर लगभग एक वर्ष पूर्व ही आपको व्यक्तिशः सुपुर्द की जा चुकी है एवं तब से लेकर आज तक वो समस्त कागजात व रसीदात आपके अनन्यतः भौतिक कब्जे में है।
3. अतः इस बात व शंका से कतई गुरेज नहीं किया जा सकता कि परेशान करने की नीयत से कोई दस्तावेजात खुर्द–बुर्द किया हो या उनसे छेडछाड की हो ताकि मुझ पर नाहक आरोप लगाये जा सकें, यदि ऐसा कुछ भी पाया गया या मुझे आभास हुआ तो मैं अपने कानूनी अधिकारियों का प्रयोग करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र रखता हूँ।

तदनुरूप जवाब प्रस्तुत है।

11.7.18

सुरेश अग्रवाल
वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं
पूर्व अध्यक्ष, राज0 विधि सेवा
परिषद।

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 62

दिनांक : 19-07-2018

मीटिंग नोटिस

राजस्थान विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की तृतीय बैठक दिनांक 20.07.2018 को सांयकाल 5.00 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त बैठक में राजस्थान विधि सेवा परिषद की नवीन वेबसाईट के उद्घाटन एवं विधि सेवा से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जायेगा।

कृपया कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, जिसमें संयोजक, परामर्श मण्डल एवं महिला मण्डल के सदस्य भी सम्मिलित हैं, उक्त निर्धारित समय पर बैठक में हिस्सा लेकर अपने सुझावों/विचारों से विधि सेवा के हित में किये जाने वाले कार्यों को मजबूती प्रदान करावें।

निवेदक

19/7/18

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 63

दिनांक : 23.07.2018

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की तृतीय बैठक दिनांक 20.07.2018 को अपरान्ह 5.00 से 6.00 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. राजस्थान विधि सेवा परिषद की नव–निर्मित वेबसाइट के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वेबसाइट की विशेषताओं एवं उसकी उपयोगिता को देखते हुए सभी सदस्यों द्वारा उसकी सराहना की गई एवं सर्वसम्मति से मा0 प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के कर कमलों द्वारा वेबसाइट का विधिवत् अनावरण दिनांक 25.07.2018 को किया जाना तय किया गया।
2. सेवा के सभी सदस्यों के परिचय पत्र बनवाने की औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हैं। अब सभी सदस्यों को निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवानी हैं, जिससे कि उनका परिचय पत्र तैयार हो सके। परिचय पत्र बनवाने का व्यय परिषद द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि परिचय पत्र बनवाने का शुल्क प्रति सदस्य अलग से नहीं लिया जाकर प्रत्येक सदस्य द्वारा वर्तमान में जमा कराये गए सदस्यता शुल्क से विधि सेवा परिषद के कोष में जमा हुई राशि में से ही व्यय किया जाएगा।
3. विधि सेवा परिषद के वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल का आय–व्यय का ब्यौरा कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल से उनके कार्यकाल का आय–व्यय का ब्यौरा उपलब्ध कराने हेतु मौखिक निवेदन पर आय–व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाने पर दिनांक 02.07.2018 को पत्र के माध्यम से आय–व्यय का ब्यौरा उपलब्ध करवाने का

23/7/18

निवेदन किया गया, जिसका प्रत्युत्तर पूर्व अध्यक्ष के पत्र दिनांक 11.07.2018 द्वारा दिया गया है।

परिषद द्वारा पूर्व अध्यक्ष को लिखे गए पत्र एवं पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिए गए जवाब की प्रति कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत की गई। कार्यकारिणी द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा पश्चात् श्री सुरेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष के जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया और हिसाब स्पष्ट करने हेतु पुनः पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात भी पूर्व अध्यक्ष द्वारा आय–व्यय का संतोषजनक लेखा–जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

4. राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु विधि विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा प्रमुख शासन सचिव महोदय से चर्चा भी की जा चुकी है। इस संबंध में विधि विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

5. कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई और परिषद द्वारा किए गए कार्यों का विवरण कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

i. वर्ष 2011 बैच के कुछ कनिष्ठ विधि अधिकारी अनुभव के अभाव में गत वर्ष पदोन्नति से वंचित हो गये थे, उनको उसी वर्ष में पदोन्नति दिलानें के सम्बन्ध में विशेष प्रयास किये गये हैं और अब कार्मिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसके लिए रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित करवाकर पूर्व के वर्ष से ही पदोन्नति का लाभ दिलवाया जायेगा एवं उक्त अधिकारीगण अपनी मूल वरिष्ठता प्राप्त कर सकेंगे।

ii. वेतन विसंगति निवारण समिति के समक्ष विधि सेवा का पक्ष बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए विधि सेवा परिषद् द्वारा की गई मांग के अनुरूप ही वेतनमान स्वीकृत करने हेतु दो बार विधि विभाग की अनुशंसा करवाकर कमेटी को भिजवायी गई है। चूंकि परिषद् के अध्यक्ष, राज0 एसोसियेशन ऑफ स्टेट सर्विस ऑफिसर्स (RASSO) में भी पदाधिकारी हैं। इसलिए RASSO के माध्यम से भी विधि सेवा का पक्ष उक्त कमेटी के समक्ष रखा गया है।

iii. सभी कलक्ट्रेट में उप विधि परामर्शी का पद सृजित करने के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करके पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को भिजवायी गई है, राजस्व मण्डल से सूचना प्राप्त होते ही उक्त पत्रावली वित्त विभाग को भिजवायी जावेगी।

27/7/18

iv. कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद की रिक्तियां भरने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

v. विधि सेवा परिषद् की वेबसाईट बनकर तैयार है। मा0 मुख्यमंत्री महोदय से वेबसाईट का उद्घाटन कराने का प्रयास किया गया था परन्तु व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल सका है। अब प्रमुख शासन सचिव, महादेय से ही उद्घाटन कराने का समय लिया जा रहा है।

vi. विधि सेवा अधिकारीगण को अलग से मोबाईल भत्ता दिलवाये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

vii. समस्त विधि अधिकारीगण को सर्किट हाउस में ठहरने के लिए पात्र घोषित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

viii. विधि सेवा के समस्त पदों पर पदोन्नति हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं एवं शीघ्र ही डीपीसी आयोजित होने की सम्भावना है।

23/07/2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 64

दिनांक : 23.07.2018

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा परिषद् की नव निर्मित वेबसाइट के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आतिथ्य स्वीकार करने बाबत्।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा नवीन वेबसाइट तैयार की गई है जिसमें विधि सेवा के समस्त सदस्यों के नाम, फोटो, पदस्थापन विभाग, सेवा नियम एवं विधि विभाग द्वारा जारी समस्त परिपत्र तथा अन्य विभागों के महत्वपूर्ण परिपत्रों सहित नवीनतम विधिक जानकारी का समावेश करके इसको बहु–उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विधि सेवा परिषद की नव सृजित वेबसाइट के अनावरण हेतु एक समारोह का आयोजन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में दिनांक 25.07.2018 को अपरान्ह 1:00 से 3:00 बजे आयोजित किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि उक्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आतिथ्य स्वीकार कर विधि सेवा परिषद को अनुग्रहीत करने की कृपा करें।

सादर!

निवेदक

23/07/2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 66

दिनांक : 23-7-2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद की नव सृजित वेबसाइट के अनावरण हेतु एक समारोह का आयोजन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में दिनांक 30.07.2018 को सायं 4:00 से 6:00 बजे आयोजित किया जा रहा है।

पूर्व में यह अनावरण समारोह दिनांक 25.07.2018 को निर्धारित था परन्तु अपरिहार्य कारणों से अब यह समारोह दिनांक 30.07.2018 को आयोजित किया जा रहा है।

अतः उक्त तिथि को निर्धारित समय सायं 4.00 बजे आप सब की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

निवेदक

23/7/18

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 2(29)कार्मिक/क–2/87 जयपुर, दिनांकः

26 JUL 2018

सचिव,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
जयपुर रोड, अजमेर–305026।

विषयः–कनिष्ठ विधि अधिकारी (ग्रेड पे रूपये 3600) के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा ही भर्ती किये के संबंध में ।

संदर्भः–आपका पत्र कमांक एफ 6(10)परीक्षा/विविध/2011–12/165 दिनांक 22.6.2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र कमांक पं. 22(11)न्याय/क–2/आंतरिक नोट/18 दिनांक 15.6.2018 (प्रति संलग्न) के द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदो की भर्ती की कार्यवाही आयोग के स्तर पर करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त पद के चयन हेतु नियमों में साक्षात्कार का प्रावधान होने के कारण बोर्ड द्वारा उक्त पदों की भर्ती की प्रकिया का सम्पादन करनें में असमर्थता व्यक्त की गई है। आपके संदर्भित पत्र द्वारा भी उक्त पद की भर्ती करवानें की असहमति दी गई है। अतः कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद की भर्ती एकबारीय आयोग के माध्यम से ही करवाने जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उक्त पद की भर्ती आयोग के द्वारा ही करवाने हेतु आयोग की सहमति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

Nirmala letter-352

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 72

दिनांक : 06.08.2018

श्री सुरेश अग्रवाल,
वरिष्ठ विधि अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
एवं पूर्व अध्यक्ष, राज0 विधि सेवा परिषद्,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष पद के कार्यकाल में वित्तीय लेन–देन का हिसाब प्रस्तुत करने बाबत्।
संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 11.07.2018 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद् के पूर्व पत्र दिनांक 02.07.2018 के द्वारा आपसे आपके अध्यक्षीय कार्यकाल का आय–व्यय का ब्यौरा मांगा गया था परन्तु आपने आय–व्यय का व्यौरा प्रस्तुत न करते हुए काल्पनिक/निराधार तथ्यों के आधार पर जवाब प्रस्तुत किया है, जिसके सम्बन्ध में परिषद् का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है –

i. विधि के जानकार होने के नाते सर्वप्रथम आपको यह जानकारी होना आवश्यक है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष का कार्यकाल में विधि सेवा परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं सदस्यता शुल्क के रूप में जमा राशि के सम्बन्ध में दायित्व न्यासी के रूप में होता है। अतः तत्कालीन अध्यक्ष का हिसाब–किताब सही रखने एवं परिषद् के किसी भी सदस्य द्वारा कभी भी मांगे जाने पर उसे उपलब्ध करवाने का दायित्व होता है। इस सम्बन्ध में आप द्वारा प्रेषित जवाब में यह उल्लेख किया है कि आपने अपने कार्यकाल का आय–व्यय का ब्यौरा परिषद् की आम सभा में प्रस्तुत कर दिया था लेकिन आम सभा आयोजित करने हेतु जारी नोटिस की प्रति, आयोजन की तिथि, उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षरित विवरण एवं आम सभा की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
यदि यह मान भी लिया जावे कि आपने तत्समय आयोजित आम सभा में आय–व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया था तब भी पुनः हिसाब मांगे जाने पर हिसाब देने से इंकार करने का यह कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है क्योंकि वित्तीय लेन देन के सम्बन्ध में एक सामान्य व्यक्ति भी अपने पास एक स्थाई रिकार्ड रखता है,

06/8/2018

06/08/18

आपके विधि के जानकार होने के नाते इसकी प्रति होना अति–आवश्यक है और परिषद द्वारा मांगे जाने पर उसकी छाया प्रति उपलब्ध करवाना आपका दायित्व है। अतः आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के आय–व्यय के ब्यौरे की छाया प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

ii. आपने जवाब के बिन्दु संख्या 02 में यह उल्लेख किया है कि विधि सेवा परिषद् द्वारा चाहे जाने पर आप द्वारा दस्तावेजात आदि उपलब्ध करवा दिये गये थे, यदि ऐसा है तो परिषद् के मांग पत्र की प्रति एवं आप द्वारा प्रस्तुत बताये गये रिकार्डस प्राप्ति की रसीद की प्रति उपलब्ध करावें।

iii. आपके जवाब के बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आपसे हिसाब मांगा जाना किसी प्रकार का आरोप न होकर, परिषद् की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं परिषद् के आय–व्यय के ब्यौरे के सम्बन्ध में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु अति–आवश्यक है तथा इसे उपलब्ध करवाया जाना तत्कालीन अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी के साथ–साथ विधिक दायित्व भी है। आप द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की धमकी या भय दिखा कर इस जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करना एवं निराधार बातों से विधि सेवा परिषद् के सदस्यों को गुमराह करना परिषद् के हित में नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा हिसाब के सम्बन्ध में काल्पनिक एवं निराधार जवाब प्रस्तुत करना, अप्रत्यक्ष रूप से आय–व्यय का हिसाब देने से अपने को बचाने का निरर्थक प्रयास है।

जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया है कि परिषद् की राशि का हिसाब देना तत्कालीन अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी के साथ–साथ न्यासी के रूप में विधिक जिम्मेदारी भी है।

अतः परिषद् के सदस्यों के हित में आप उपरोक्त वांछित समस्त तथ्यों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए परिषद् के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता रखने हेतु आय–व्यय का ब्यौरा एवं उक्त चाही गयी सूचनाऐं तत्काल उपलब्ध कराने का श्रम करें।

वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी अपने कार्यकाल के समस्त वित्तीय आय–व्यय का लेखा–जोखा माननीय सदस्यों के समक्ष जरिये Whatsapp, समय–समय पर उपलब्ध कराती रही है एवं कार्यकाल पूर्ण होने पर सम्पूर्ण लेखा–जोखा पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है।

06/8/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

06/8/18

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/73

दिनांक 07-08-2018

—:: आम सूचना ::—

विषय :— राजस्थान विधि सेवा परिषद् के वार्षिक आम चुनाव कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :— राजस्थान विधि सेवा परिषद् के कुछ सम्मानीय सदस्यों द्वारा दिनांक 27.7.2018 को Whatsapp पर डाले गये नोटिस के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित नोंटिस के क्रम में सम्मानीय सदस्यों की जानकारी में लाने हेतु वस्तुस्थिति निम्नवत् है :—

1. परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में राज0 विधि सेवा परिषद् के संविधान के अनुच्छेद 9 में निम्न प्रावधान है :—

   "प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए 4 नवम्बर तक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करने एवं चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन कराने का दायित्व तत्समय कार्यरत अध्यक्ष एवं उसकी कार्यकारिणी का होगा"

2. राज0 विधि सेवा परिषद् के संविधान के अनुच्छेद 4(3) में वर्ष को निम्नवत परिभाषित किया गया है :—

   "वर्ष का अर्थ 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष से है।"

3. राज0 विधि सेवा परिषद् के संविधान के अनुच्छेद 10 में परिषद् के कार्यकाल के संबंध में निम्न प्रावधान है :—

   "परिषद का कार्यकाल किसी भी स्थिति में एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा, जो कार्यकारिणी के शपथ—ग्रहण करने की दिनांक से उस कलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक का होगा।"

4. राजस्थान विधि सेवा परिषद के उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल अनुच्छेद 4(3) में वर्णित परिभाषा के अनुसार एक पूर्ण कलेण्डर वर्ष है, जो प्रतिवर्ष 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसम्बर तक निर्धारित है।

07/8/2018

5. विधि सेवा परिषद के समस्त सदस्यों के आशीर्वाद एवं समर्थन से अधोहस्ताक्षरकर्ता 31 जुलाई, 2017 को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 4(3) एवं अनुच्छेद 10 के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का कार्यकाल एक पूर्ण कलेण्डर वर्ष अर्थात एक जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक परिषद के संविधानानुसार निर्धारित है। यह सर्वविदित है कि किसी भी सेवा के हित में लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वर्तमान दो माह अत्यन्त महत्पूर्ण हैं। ऐसे समय में सेवा के प्रत्येक अधिकारी को सेवा हित में एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, किन्तु उक्त सब कुछ जानते हुए भी विधि सेवा के कतिपय अधिकारीगण द्वारा निहित स्वार्थवश वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होना दुष्प्रचारित करते हुए, सेवा के सदस्यों को भ्रमित एवं गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है तथा कार्यकारिणी को सेवा के हित में लम्बित कार्य पूर्ण कराने में बाधा पहुँचाई जा रही है। ऐसे समय में यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है।

6. राजस्थान विधि सेवा परिषद के चुनाव पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिसम्बर, 2016 में सम्पन्न कराये जाने थे एवं तद्नुसार ही नयी कार्यकारिणी का कार्यकाल दिसम्बर, 2017 तक रहना था। पूर्व अध्यक्ष द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न कर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष के इस्तीफा देने के कारण, जुलाई 2017 में सम्पन्न कराया जा सका।

7. नोटिस के माध्यम से लगाया गया यह आरोप, कि वर्तमान अध्यक्ष एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद् के चुनाव नहीं कराना चाहती, निराधार है। समस्त माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त किया जाता है कि वर्तमान कार्यकारिणी संविधान के अनुच्छेद 4(3) एवं 9 में वर्णित समय, तिथि एवं प्रक्रियानुसार चुनाव कराने हेतु कृत संकल्प है एवं परिषद के चुनाव निश्चित रूप से संविधान में निर्धारित तिथि पर ही संपन्न कराये जावेंगे। वर्तमान कार्यकारिणी हेतु परिषद के संविधान में निर्धारित कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2018 से पूर्व ही परिषद के संविधान के अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत 4 नवम्बर तक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करवाकर नवीन चुनाव सम्पन्न कराये जावेंगे।

8. परिषद द्वारा कठोर परिश्रम कर सेवा के हित में अनेक कार्य आगे बढाये गये हैं, जिन्हें विधि सेवा परिषद की बेसाइट पर देखा जा सकता है, इनके परिणाम निश्चित रूप से आगामी दो माह में प्राप्त होने हैं। चूंकि राज्य सरकार के चुनावी वर्ष को देखते हुए आगामी दो माह किसी भी सेवा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, अतः परिषद वर्तमान में उक्त कार्यों से अपना ध्यान हटाकर सेवा का अहित कराना नहीं चाहती। वर्तमान परिषद द्वारा किये गये समस्त कार्य खुली किताब की तरह हैं, जिनका अवलोकन परिषद की वैबसाईट www.rajvidhiseva.com पर किया जा सकता है। समस्त माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि परिषद द्वारा किये गये कार्यों का अपने स्तर से मूल्यांकन अवश्य करें।

9. विधि सेवा के सम्मानीय सदस्यों द्वारा निम्नलिखित बिन्दु भी विचारणीय हैं :–

   i. अध्यक्ष के रूप में पूर्व अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का कार्यकाल कब प्रारम्भ हुआ और एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर चुनाव कराने सम्बन्धी क्या प्रयास किये गये ?

07/8/2018

ii. माननीय निवर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी द्वारा अपने कार्यकाल में कब–कब आम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित करायीं गयीं ?

iii. माननीय निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा Whatsapp पर मुझे निष्क्रिय अध्यक्ष बताया गया है, अतः कृपया इस कार्यरिणी द्वारा दिये गये ज्ञापनों एवं राजस्थान विधि सेवा की विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने पर भी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश की अनुपालना में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को नितान्त आवश्यक एक ज्ञापन भी न दे सकने की तुलना अवश्य करें। उक्त ज्ञापन के अभाव में राजस्थान विधि सेवा द्वारा वेतनमान के लिए वर्ष 1984 से लगातार लडी गयी लम्बी न्यायिक लडाई का परिणाम हमने स्वयं ही शून्य कर लिया। वर्तमान कार्यकारिणी के गठन होते ही तुरन्त राज्य सरकार को उक्त प्रतिवेदन देना चाहा किन्तु पूर्व अध्यक्ष द्वारा रिव्यू याचिका के नम्बर एवं निर्णय की जानकारी उपलब्ध न कराये जाने एवं वर्षो का समय गुजरने के कारण यह भी संभव नही हो सका।

iv. विधि सेवा में पूर्व के अध्यक्षों का कार्यकाल कब–कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ अर्थात प्रत्येक अध्यक्ष का कुल कार्यकाल कितनी अवधि का रहा है ?

v. क्या वर्तमान कार्यकारिणी इतनी निष्क्रिय है कि राजस्थान विधि सेवा के इतिहास में अब तक सबसे कम कार्यकाल की इस कार्यकारिणी के कार्यकलापों को इस तरह बाधित किया जावे।

सम्माननीय सदस्यों से मेरा पुनः अनुरोध है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा तैयार की गयी वैबसाईट पर परिषद द्वारा अब तक सेवा के हित में किये गये अधिकांश प्रयास उपलब्ध हैं, अतः उनका अवलोकन कर वर्तमान कार्यकारिणी के प्रयासों का उचित मूल्यांकन कर अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे भी अवगत करावें। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास अवश्य दिलवाना चाहूंगा कि वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा अपने अब तक के कार्यकाल में सेवा के हित में, पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से यथासंभव समस्त प्रयास किये गये हैं एवं किये जाते रहेंगे।

सादर।

भवदीय

07/8/2018

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद्

राजस्थान विधि सेवा परिषद्

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/74 दिनांकः 28.08.2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान अब्दुल रहमान पंवार, उप विधि परामर्शी, अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए, दिनांक 31.08.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

श्री पंवार के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 01.09.2018 को दोपहर 11.00 से 3.00 बजे तक Hotel Continental Blue, Opp. DRM Office, Mordern market, Bikaner में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परिषद् की विदाई समारोह समिति के पदाधिकारीगण द्वारा श्री पंवार को सम्मानित किया जायेगा।

अतः उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

31/44
28/8/18

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

दिनांक 30.06.2018 से दिनांक 01.09.2018 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि का विवरणः–

11 सदस्यों का बकाया शुल्क =**NIL** अर्थात निम्नानुसार विवरण

(1) 6 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =800/–रूपये की राशि

6×800 = 4800/–रूपये की राशि

(2) 2 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 700/–रूपये की राशि

2×700 = 1400/–रूपये की राशि

(3) 1 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 200/–रूपये की राशि

1×200 = 200/–रूपये की राशि

(4) 1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी = 700/–रूपये की राशि

1×700 = 700/–रूपये की राशि

(5) 1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी = 800/–रूपये की राशि

1×800 = 800/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि

4800+1400 +200+700+800=7900/–रूपये

उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–

2. सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि :–

1×700 = 700/–रूपये की राशि

1×800 = 800/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =1500/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि

7900–1500= 6400 /–रूपये

* उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2018से दिनांक 01.09.2018 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक 01.09.2018 तक वर्ष 2017 एवं 2018 की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि :–	दिनांक 01.09.2018 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1. नकद प्राप्त राशि = 6400/–रूपये 2. Online SBI Bank A/C सचिवालय स्थित शाखा के A/C No.–51088903206 में कुल जमा राशि = 1500/–रूपये * परिषद के बैंक खाता से चेक द्वारा दिनांक 30.07.2018 को निकाली गयी राशि =20000/–रूपये * अर्थात उक्त कुल प्राप्त राशि प्रति सदस्य से दिनांक 01.09.2018 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार – कुल = 6400+1500/–रूपये = 7,900/–रूपये संलग्न :– दिनांक 01.09.2018 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 30.06.2018 से दिनांक 01.09.2018 तक कुल 1 सेवानिवृत समारोह जयपुर से बाहर बीकानेर में आयोजित हुए अर्थात राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा उक्त समारोह में खर्च की गयी कुल राशि = 15370/–रूपये 2. दिनांक 30.06.2018 से दिनांक 01.09.2018 तक राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवायी गयी बेबसाईट launch दिनांक 30.07.2018 व संबंधित अन्य खर्चो को सम्मिलित करते हुए परिषद् द्वारा खर्च की गयी कुल राशि = 10030/–रूपये * अर्थात उक्त खर्चो की दिनांक 30.06.2018 से दिनांक 01.09.2018 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार कुल खर्चो की राशि कुल = 15370+10030/–रूपये = 25400/–रूपये संलग्न:–खर्चो से संबंधित दिनांक 30.06.2018 से दिनांक 01.09.2018 तक की लिस्ट

अतः उक्त नकद प्राप्त कुल राशि **6400**(नकद प्राप्त राशि)+**20,000** (बैंक से चेक द्वारा निकाली गयी राशि) =**26400** /–रूपये में परिषद् के उपराक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = **25400/–रूपये** का समायोजित करके शेष राशि **26400–25400=1000**/–रूपये परिषद् के जमा।

नोट:– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय /कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/77

दिनांक : 10.9.2018

विधि सेवा के समस्त सदस्यों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि मा0 विधि राज्य मंत्री महोदय एवं मा0 प्रमुख शासन सचिव, विधि महोदय के आशीर्वाद, संयुक्त शासन सचिव, विधि के विशेष सहयोग एवं विधि सेवा परिषद के अथक प्रयासों से उप विधि परामर्शी के जिला कलक्ट्रेट में 30 पदों के नव सृजन सम्बन्धी वित्त विभाग की स्वीकृति पर मा0 मुख्यमंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

विशेष खुशी की बात यह है कि अब विधि सेवा के किसी भी पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव पूर्ण करने वाला कोई भी अधिकारी पदोन्नति से वंचित नहीं रहेगा।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि में सहयोग हेतु संबन्धित समस्त प्राधिकारीगण का हार्दिक आभार एवं विधि सेवा के समस्त अधिकारीगण को बहुत–बहुत बधाई।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 7 (18) राज / 2 / 2018 जयपुर, दिनांक : 10/09/18

–: आज्ञा :–

राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रस्ताव पत्र क्रमांक राम / प–1 / 9 / 370 / वि / स्था / 2018 / 12740 दिनांक 08.08.2018 के क्रम मे जिला कलक्टर कार्यालयों हेतु बजट मद 2053–00–093–(03)–{01} (Other than Schemes- State Fund) में उप विधि परामर्शी के 30 नवीन पद सृजन करने की एतदद्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इन कार्यालयों में पूर्व में स्वीकृत सहायक विधि परामर्शी के 08 पदों को समाप्त (Abolished) करने की शर्त पर प्रदान की जाती है।

इन नव सृजित पदों के आवर्तक व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित लेखाशीर्ष में प्रावधित राशि में से व्यय किये जाने एवं आवश्यक होने पर अनुपूरक / संशोधित अनुमानों में यथासमय प्रस्ताव भिजवाने का दायित्व राजस्व मण्डल, अजमेर का होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई. डी. क्रमांक 161800994 दिनांक 10.09.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd

(एस.आर. पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार सी.ले.प.(आई.सी.–3) राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
5. अतिरिक्त निबन्धक, वित्त एवं लेखा, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली ।

(कोमल भार्गव)
शासन सहायक सचिव

संयुक्त शासन सचिव, [illegible] 208 [illegible] भवन, शासन सचिवालय, जयपुर [illegible] 005 फोन नं0 2385149 [illegible] 5153222 आई.पी. 21[illegible] शासन सहायक सचिव, [illegible] कमरा नं0 [illegible]028 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर 302 005 फोन नं0 [illegible] 5153[illegible] [illegible] 24105/24128 email : 1. dsrevenue1@msn.com
2. asrevenue2@gmail.com
3 e:\files\sanju\2018\7(18)2018 post creation of dlr.docx

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 78

दिनांक : 10.09.2018

आवश्यक सूचना

प्रिय साथियों,

आप सब को विदित है कि विधि सेवा परिषद् के अथक प्रयासों से उप विधि परामर्शी के नवीन पदों के सृजन पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित होने की सम्भावना है।

अतः पदोन्नति हेतु पात्र सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि यदि किसी अधिकारी की, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं सन्तान सम्बन्धी, सूचना शेष है तो वह तीन दिवस के अन्दर व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विधि विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि सूचना के अभाव में डीपीसी की कार्यवाही बाधित न हो।

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः–कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2018/79 दिनांकः 25.09.2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान अरविन्द कुमार शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एवं श्रीमान सुनील कुमार जोशी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 30.09.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

उक्त अधिकारियों के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 28.09.2018 को अपरान्ह 3.00 से 4.00 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

अतः उक्त समारोह में सभी सम्माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

25/9/18

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 82

दिनांक 01-10-2018

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद, के अध्यक्ष पद हेतु दिनांक 31.07.2017 को निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होने के उपरान्त, राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14.08.2017 को कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की गयी थी एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की पदोन्नति पश्चात सदस्यों के पद नाम परिवर्तित होने के कारण कार्यकारिणी गठन हेतु जारी आदेश एवं सम्बन्धित अन्य आदेशों में दिनांक 15.01.2018 को संशोधन किया गया था।

चूंकि विधि सेवा परिषद के संरक्षक श्री सुनील कुमार जोशी जी सेवानिवृत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में नये संरक्षक की घोषणा अपेक्षित हो गयी है।

अतः दिनांक 15.01.2018 को जारी आदेश में एतद्द्वारा संशोधन करते हुए श्री सतीश कुमार पाराशर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी को संरक्षक एवं श्री बालेन्द्र पाण्डे, संयुक्त विधि परामर्शी को परामर्श मण्डल का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/83

दिनांक : 15.10.2018

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद, के आदेश दिनांक 31.07.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.01.2018 के द्वारा श्री राजीव कुमार गर्ग, सहायक विधि परामर्शी को सम्भागीय कोषाध्यक्ष, कोटा के पद पर मनोनीत किया गया था।

श्री गर्ग द्वारा दिनांक 13.10.2018 को What's app पर अभिव्यक्त किये गये परिषद् विरोधी विचारों एवं सम्भागीय कोषाध्यक्ष, कोटा के पद से इस्तीफा देने की मंशा को देखते हुए परिषद् के संविधान के अनुच्छेद–8(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजीव कुमार गर्ग को सम्भागीय कोषाध्यक्ष, कोटा के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

15/10/2018

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 84

दिनांक : 26-10-2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान नारायण सिंह मीणा, संयुक्त विधि परामर्शी एवं श्रीमान विनोद कुमार शर्मा, उप विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.10.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

उक्त अधिकारियों के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 31.10.2018 को अपरान्ह 3.00 से 4.00 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

अतः उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

दिनांक 01.09.2018 से 31.10.2018 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि का विवरणः–

21 सदस्यों का बकाया शुल्क =NIL अर्थात निम्नानुसार विवरण

(1) 11 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =800/–रूपये की राशि
11×800 = 8800/–रूपये की राशि

(2) 6 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 700/–रूपये की राशि
6×700 = 4200/–रूपये की राशि

(3) 1 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 600/–रूपये की राशि
1×600 = 600/–रूपये की राशि

(4) 2 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 500/–रूपये की राशि
2×500 = 1000/–रूपये की राशि

(5) 1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी = 800/–रूपये की राशि
1×800 = 800/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि
8800+4200+600+1000+800 =15,400 /–रूपये
उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–
एक सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी= 800/–रूपये की राशि
1×800 = 800/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =800/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि
15,400 –800= 14,600 /–रूपये

*** उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।**

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा प्राधि

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.10.2018 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.10.2018 तक वर्ष 2017 एवं 2018 की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि :–	दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.10.2018 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1 नकद प्राप्त राशि = 14600/–रूपये 2 Online SBI Bank A/C सचिवालय स्थित शाखा के A/C No.–51088903206 में कुल जमा राशि = 800/–रूपये * परिषद के बैंक खाता से चेक द्वारा दिनांक 28.09.18 को निकाली गयी राशि =20000/–रूपये * 1000/–रूपये (शेष राशि पिछला हिसाब दिनांक 01.09.2018 तक का) * अर्थात उक्त कुल प्राप्त राशि प्रति सदस्य से दिनांक 31.10.2018 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार – कुल = 14600+800/–रूपये = 15,400/–रूपये **संलग्न :–** दिनांक 31.10.2018 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.10.2018 तक 4 सेवानिवृत समारोह जयपुर में आयोजित हुए अर्थात राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा उक्त समारोह में खर्च की गयी कुल राशि = 21053/–रूपये **संलग्न:–** दिनांक दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.10.2018 तक अपडेट खर्चो से संबंधित राशि की लिस्ट

अतः उक्त नकद प्राप्त कुल राशि 14600(नकद प्राप्त राशि) + 20000 (बैंक से चेक द्वारा निकाली गयी राशि) + 1000 (पिछला बकाया)=35600 /–रूपये में परिषद् के उपराक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 21053/–रूपये का समायोजित करके शेष राशि 35600–21053=14547/–रूपये परिषद् के जमा है उक्त शेष राशि को विधि अधिकारियों के परिचय पत्र बनाने में समायोजन किया जायेगा।

नोटः– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय /कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

02/11/18

विधि सेवा परिषद् की कार्यकारणी की बैठक मे दि० 31/10/18 तक आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। जिसका उपस्थित सभी पदाधिकारियों/सदस्यों ने अवलोकन कर लिया है, तथा सभी प्रस्तुत लेखा से सन्तुष्ट है।

2/11/2018
(सुरेशचन्द्र शर्मा)

02/11/18

(विजय कुमार जैन) 02/11/18
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

2/11/18
(उपाध्यक्ष)

(S.M. Pareek)

(Som Dutt Khandela)

2/11/18
[आशा शर्मा]
DCR

02/11/18

Poonam
(JLO)

(JLO)

31-10-18

शासन संयुक्त सचिव

विधि एवं विधिक कार्य विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय – विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवाये गये विधि अधिकारियों के परिचय पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक प. 22 (7) न्याय/2017 दिनांक 02.08.2018 एवं परिषद् का पत्र क्रमांक राज.वि.से.प./76 दिनांक 30.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि विधि विभाग की स्वीकृति पश्चात विधि सेवा परिषद् द्वारा विधि अधिकारीगण के परिचय पत्र बनवा लिये गये हैं। परिचय पत्र बनवाने हेतु दिनांक 26.10.2018 तक कुल 125 आवेदन (सूची संलग्न) प्राप्त हुए थे, जिनमें से 121 अधिकारियों के परिचय पत्र बनवाये जा चुके हैं। संलग्न सूची के क्रम संख्या 27, 30, 77 एवं 107 पर अंकित अधिकारियों के परिचय पत्र किसी कारणवश अभी तैयार नहीं हो सके हैं।

अतः सदस्यों से प्राप्त मूल 125 आवेदन एवं 121 तैयार परिचय–पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि परिचय पत्रों को नियमानुसार विधि विभाग के स्तर से जारी करवाने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

31/10/2018

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद।

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः– कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./88 दिनांकः 01.11.2018

मीटिंग नोटिस

राजस्थान विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की चतुर्थ बैठक दिनांक 02.11.2018 को दोपहर 1.00 से 2.00 बजे, समिति कक्ष– द्वितीय, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त बैठक में राजस्थान विधि सेवा परिषद के रजिस्ट्रेशन, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, आय–व्यय के विवरण एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जायेगा।

कृपया कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, जिसमें संयोजक, परामर्श मण्डल एवं महिला मण्डल के सदस्य भी सम्मिलित हैं, उक्त निर्धारित समय पर बैठक में हिस्सा लेकर अपने सुझावों/विचारों से विधि सेवा के हित में किये जाने वाले कार्यों को मजबूती प्रदान करावें।

निवेदक

01/11/2018

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./89

दिनांक : 02.11.2018

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 02.11.2018 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 9 में उल्लेखित प्रावधान के तहत राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव सम्पन्न कराने बाबत एतद्द्वारा श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में विधान सभा चुनावों में विधि अधिकारीगण की व्यस्तता के मध्येनजर अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु प्रकिया दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य सम्पन्न की जावेगी, जिसका तिथिवार चुनाव कार्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जावेगा।

इस दौरान निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव संबंधी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जावेंगीं।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपिः निम्नांक्रित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी, निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
2. श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./89

दिनांक : 02.11.2018

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 02.11.2018 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 9 में उल्लेखित प्रावधान के तहत राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव सम्पन्न कराने बाबत एतद्द्वारा श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में विधान सभा चुनावों में विधि अधिकारीगण की व्यस्तता के मध्येनजर अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु प्रकिया दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य सम्पन्न की जावेगी, जिसका तिथिवार चुनाव कार्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जावेगा।

इस दौरान निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव संबंधी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जावेंगीं।

Sd

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी, निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
2. श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प. / 89 दिनांक : 02.11.2018

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 02.11.2018 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 9 में उल्लेखित प्रावधान के तहत राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव सम्पन्न कंराने बाबत एतद्द्वारा श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में विधान सभा चुनावों में विधि अधिकारीगण की व्यस्तता के मध्येनजर अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य सम्पन्न की जावेगी, जिसका तिथिवार चुनाव कार्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जावेगा।

इस दौरान निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव संबंधी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जावेंगीं।

Sd.
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी, निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
2. श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 90

दिनांक : 05-11-2018

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की चतुर्थ बैठक दिनांक 02.11.2018 को कमैटी रूम–2, शासन सचिवालय, जयपुर में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसका कार्यवाही विवरण निम्नवत है–

1. राजस्थान विधि सेवा परिषद् की वर्तमान कार्यकारिणी की कार्यावधि में दिनांक 31.10.2018 तक आय–व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष श्री विजय जैन द्वारा कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका कार्यकारिणी के उपस्थित सभी पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा अवलोकन पश्चात अनुमोदन किया गया। **कार्यकारिणी की बैठकों का व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है, क्यों कि अब तक आयोजित सभी बैठकों का व्यय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से वहन किया गया है।**
2. राजस्थान विधि सेवा परिषद् के संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु सर्वसम्मति से श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य में चल रहे विधान सभा चुनावों के मध्येनजर अध्यक्ष पद का चुनाव दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य सम्पन्न कराने, चुनाव का कार्यक्रम बाद में अलग से घोषित किये जाने तथा इस दौरान चुनाव अधिकारी व सहायक चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव संबंधी अन्य तैयारी किये जाने का भी निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने वाले सदस्यों की सूची निरन्तर अद्यतन की जाकर परिषद् सदस्य के रूप में चुनाव प्रक्रिया में

आगे

भागीदारी हेतु निर्वाचन अधिकारी को यथासमय भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. सदस्यता शुल्क के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। वर्तमान में परिषद् के 171 सदस्यों द्वारा वर्ष 2017 के लिए रूपये 300/– (रूपये 100/– सदस्यता शुल्क एवं रूपये 200/– समारोह इत्यादि हेतु) एवं वर्ष 2018 हेतु रूपये 500/–, कुल राशि रूपये 800/– प्रति सदस्य के हिसाब से कोषाध्यक्ष को जमा करवा दिये गये हैं।

4. परिषद् को दिनांक 26.10.2018 तक परिचय पत्र बनवाने हेतु प्राप्त कुल 125 आवेदन पत्रों में से 121 अधिकारीगण के परिचय पत्र तैयार करवाकर अध्यक्ष महोदय द्वारा विधि विभाग को सौंप दिये गये हैं, जो पदोन्नति/पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरान्त शीघ्र ही विधि विभाग द्वारा जारी कर दिये जावेंगे।

5. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिचय पत्र हेतु जिन सदस्यों के आवेदन पत्र जमा नहीं हुए हैं वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर व्यक्तिशः या डाक से अविलम्ब परिषद् को भिजवावें, जिससे कि उनके परिचय पत्र शीघ्र ही तैयार कराये जा सकें।

6. वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय के लेखा–जोखा के संबंध में वर्तमान कोषाध्यक्ष की प्रशंसा की गई साथ ही पूर्व अध्यक्ष, श्री सुरेश अग्रवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी को द्वारा बार–बार स्मरण पत्र भेजने पर उनके द्वारा लेखा–जोखा नहीं देने के कारण उनको पुनः स्मरण पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

7. राजस्थान विधि सेवा परिषद् के रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में विचार–विमर्श करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही समयाभाव को देखते हुए अगले अध्यक्षीय कार्यकाल में सम्पादित कराने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

8. **उप विधि परामर्शी एवं संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पॉच वर्ष के अनुभव को विधि सेवा नियमों में संशोधन कर तीन वर्ष कराना, राज्य में विधि अधिकारीगण के पहली बार परिचय पत्र बनवाना, उप विधि परामर्शी के 36 नये पदों का सृजन, जयपुर एवं जयपुर से बाहर सेवानिवृत्ति समारोहों का आयोजन, विधि सेवा की वेबसाइट बनाना, आय–व्यय का पूर्ण पारदर्शी लेखा–जोखा प्रस्तुत करना, सेवा के हित में अन्य अनेक कार्य करने के साथ ही विधि सेवा के इतिहास में पहली बार संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया**

प्रारम्भ करने की कार्यवाही की कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से प्रशंसा की गयी। कार्यकारिणी की अभी तक आयोजित चारों बैठकों का खर्चा परिषद् के कोष से न करके स्वयं अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने निजी खर्च से वहन किये जाने की भी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने प्रशंसा की।

9. विदाई समारोह कार्यवाही समिति, महिला प्रकोष्ठ, मुद्रण प्रकाशन एवं वेबसाइट संधारण समिति एवं परिचय पत्र कमेटी के सदस्यों द्वारा अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई।

अन्त में अघ्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का आभार प्रकट किये जाने के उपरान्त बैठक सधन्यवाद संम्पन्न हुई।

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर

क्रमांक रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/1/2018 दिनांक : 14.12.2018

सूचना

राजस्थान विधि सेवा परिषद के सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के आदेश क्रमांक राज.वि.से.प./89 दिनांक 02.11.2018 के द्वारा मुझ श्री काशीराम को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर चुनाव सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गया है।

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव दिनांक 24.12.2018 को कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

1. नामांकन दिनांक 17.12.2018 को अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कमरा नं. 7315, खाद्य भवन, शासन सचिवालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।
2. नामंकन पत्र दिनांक 19.12.2018 को अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक वापस लिये जा सकेंगे।
3. अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध नहीं होने की स्थिति में प्रत्यर्थियों की सूची दिनांक 20.12.2018 को प्रातः 11.00 बजे जारी की जायेगी।
4. चुनाव हेतु एक से अधिक अभ्यर्थी खड़े होने की स्थिति में सभी सम्भागों में चुनाव सम्पन्न होंगे, जिसके लिए सम्भागीय निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 20.12.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक कर दी जायेगी।
5. चुनाव दिनांक 24.12.18 को अपरान्ह 01.00 बजे से 04.00 बजे तक सम्पन्न कराये जायेंगे।
6. जयपुर सम्भाग में पदस्थापित विधि सेवा परिषद के सदस्य कमरा नं. 7315, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित होकर अपना मतदान कर सकते है।
7. अन्य किसी सम्भाग का विधि सेवा अधिकारी यदि चुनाव की दिनांक 24.12.2018 को अपरान्ह 01.00 बजे से 04.00 बजे तक जयपुर में होने की स्थिति में जयपुर सम्भाग के उपरोक्त मतदान केन्द्र पर भी अपना मतदान कर सकेगा, उसे यह शपथ पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर देना होगा कि उसने अन्य मतदान केन्द्र पर अपना मतदान नहीं किया है।
8. सम्भागीय स्तर पर चुनाव का स्थान सम्भागीय निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही घोषित किया जायेगा।
9. सम्भागीय निर्वाचन अधिकारी चुनाव सम्पन्न होने के तुरंत पश्चात् वाट्सएप एवं दूरभाष द्वारा निर्वाचन अधिकारी को मतों की गणना का ब्यौरा देंगे एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी सम्भागों के परिणामों की गणना के आधार पर निर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा की जायेगी।
10. नामंकन पत्र पृष्ठ भाग पर उपलब्ध है।

काशीराम

(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9414303697

(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9214339172

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु नामंकन प्रपत्र

नाम	:	जितेन्द्र सिंह
जन्म तिथि	:	15 अगस्त 1964
पदनाम	:	उप विधि परामर्शी
वर्तमान पदस्थापन	:	विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
मोबाईल नं.	:	7014347174, 9461302549
ई–मेल	:	Sikarwarjsingh@gmail.com

शपथ

मैं जितेन्द्र सिंह राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु होने वाले चुनाव दिनांक 24.12.2018 हेतु नामंकन प्रस्तुत करता/~~करती~~ हूँ। मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान की पालना करूंगा।

[signature] 17/12/2018
प्रत्याशी के हस्ताक्षर

प्रस्तावक

नाम	:	सांवर मल पारीक
पदनाम	:	संयुक्त विधि परामर्शी
मो. नं.	:	9413237826
हस्ताक्षर	:	[signature] 17-12-18

अनुमोदक

नाम	:	सतीश कुमार पाराशर
पदनाम	:	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
मो. नं.	:	9602237973
हस्ताक्षर	:	[signature] 17/12/18

प्रमाणीकरण : वैध/अवैध

[signature] 17/12/2018
(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी

[signature] 17/12/18
(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर

क्रमांक रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/2/2018 दिनांक : 18.12.2018

सूचना

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17.12.2018 को सांय 05.00 बजे तक श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का एकमात्र नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। नामांकन पत्र जांच उपरान्त वैद्य पाया गया।

(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9414303697

(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9214339172

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर

क्रमांक रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/3/2018 दिनांक : 19.12.2018

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

राजस्थान विधि सेवा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के आदेश क्रमांक राज.वि.से.प./89 दिनांक 02.11.2018 के द्वारा मुझ श्री काशीराम को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर चुनाव सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गया है।

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17.12.2018 को सांय 05.00 बजे तक एक नामांकन पत्र श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का प्राप्त हुआ है। श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी के नामांकन पत्र की जांच उपरान्त नामांकन पत्र वैध पाया गया है। राजस्थान विधि सेवा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का एकमात्र नामांकन पत्र प्राप्त होने के कारण मतदान की कोई आवश्यकता नही रह गई है।

अतः श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी को विधि सेवा परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाता है।

काशीराम

(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9414303697

him

(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9214339172

शपथ–ग्रहण

मैं जितेन्द्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा संघ की कार्यकारिणी में अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुये अपने कर्तव्यों का पूरी योग्यता और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा एवं पद की गोपनीयता को बनाये रखूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना विधि सेवा के सभी सदस्यों के हित में विधि अनुसार सहयोग करूंगा।

19/12/2018

हस्ताक्षर

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./92 दिनांक : 20-12-2018

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी, लगातार दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किये गये हैं।

चुनाव अधिकारी द्वारा प्रदत्त चुनाव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि इस संबंध में दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में सूचना प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

संलग्न :– चुनाव प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।

भवदीय

20/12/18
(उत्तम सिंह)
महासचिव,
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 93

दिनांक : 24-12-2018

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान बृज बिहारी शर्मा, उप विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.12.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

उक्त अधिकारी के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 31.12.2018 को आयोजित किया जाना था परन्तु श्री शर्मा की माताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण बिदाई समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है।

ईश्वर के विधान के आगे हम सब बेबस एवं मजबूर हैं और अन्ततः इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान विधि सेवा परिषद ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान कर शान्ति प्रदत्त करे एवं शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

24/12/18
(उत्तम सिंह)
उप विधि परामर्शी

01-1-2019

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक ~~31.10.2018~~ से दिनांक 31.12.2018 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक 31.12.2018 तक वर्ष 2017 एवं 2018 की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि :–	दिनांक 31.12.2018 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1. नकद प्राप्त राशि = 4200/–रूपये 2. Online SBI Bank A/C सचिवालय स्थित शाखा के A/C No.–51088903206 में कुल जमा राशि = 1000/–रूपये * पिछले हिसाब दिनांक 31.10.18 की शेष राशि =14547/–रूपये * अर्थात उक्त कुल प्राप्त राशि दिनांक 31.10.2018 से 31.12.2018 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार – कुल = 14547+4200/–रूपये = 18747/–रूपये **संलग्न** :– दिनांक 31.12.2018 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 31.10.2018 से 31.12.2018 तक राजस्थान विधि सेवा परिषद् के सदस्यों के परिचय .पत्र बनवाने में खर्च की गयी कुल राशि = 7000/–रूपये 2. दिनांक 31.10.2018 से 31.12.18 तक राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवायी गयी बेबसाईट व संबंधित अन्य खर्चो को सम्मिलित करते हुए परिषद् द्वारा खर्च की गयी कुल राशि = 2200/–रूपये * अर्थात उक्त खर्चो की दिनांक 31.10.2018 से 31.12.18 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार कुल खर्चो की राशि कुल = 7000+2200/–रूपये = 9200/–रूपये **संलग्नः–खर्चो** से संबंधित दिनांक 31.10.2018 से 31.12.18 तक की लिस्ट

अतः उक्त नकद प्राप्त कुल राशि **18747/-** रूपये में से परिषद् के उपरोक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 9200/–रूपये का समायोजित करके शेष राशि **18747–9200=9547**/–रूपये परिषद् में जमा करवायी गयी।

नोटः– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय /कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

दिनांक 31.10.2018 से 31.12.2018 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि का विवरणः–

7 सदस्यों का बकाया शुल्क =**NIL** अर्थात निम्नानुसार विवरण

(i) 4 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =800/–रूपये की राशि
4×800 = 3200/–रूपये की राशि

(ii) 1 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 700/–रूपये की राशि
1×700 = 700/–रूपये की राशि

(iii) 1 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 300/–रूपये की राशि
1×300 = 300/–रूपये की राशि

(iv) 1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी = 1000/–रूपये की राशि
1×1000 = 1000/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि
3200+700 +300+1000=5200 /–रूपये
उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–
एक सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी= 1000/–रूपये की राशि
1×1000 = 1000/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =1000/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि
5200–1000= 4,200 /–रूपये

*** उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।**

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद